جماعت اسلامی ہند

जमात-ए-इस्लामी हिंद

निर्माण,सेवा और संघर्ष के 75 साल

75 YEARS OF DETERMINED STRUGGLE

جدوجہد کے پچھتر سال

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

निर्माण, सेवा और संघर्ष के 75 साल

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

D-321, दावत नगर, अबुल फ़ज़ल इंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली -110025

Mobile : 011-26951409, 26941401

E-mail : markazjih@gmail.com

Website : jamaateislamihind.org

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

निर्माण, सेवा और संघर्ष के 75 साल

प्रकाशक: जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द
डी-321, दावत नगर, अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली – 10025
फ़ोन: 011-26951409, 26941401, 26943841
ईमेल: markazjih@gmail.com
वेबसाइट: jamaateislamihind.org/en

Jamaat-e-Islami Hind
Nirmaan, Seva aur Sangharsh ke 75 Saal [Hindi]
Pages:42

विषय-सूची

प्रस्तावना	5
काम का आग़ाज़ (शुरूआत)	6
गांधी जी की जमाअत के इज्तिमाअ (सम्मेलन) में शिरकत	7
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना	7
अमीरे जमाअत (राष्ट्रीय अध्यक्ष) का पहला चुनाव: शानदार परंपराओं की शुरूआत	8
अल्लाह की मदद साथ रही	10
जमाअत के मर्कज़ (मुख्यालय) के लिए जगह की पेशकश	10
इख़लास की शानदार मिसाल	11
जमाअत की उज्ज्वल परंपरा : सलाह व मश्वरे की व्यवस्था (शूराई निज़ाम)	12
1951 की मजलिसे-शूरा के अरकान	12
कफ़ाफ़ (वज़ीफ़े) के सिलसिले में क़ीमती उसूल	13
चार सूत्रीय कार्य योजना	13
मुस्लिम समाज के साथ निःस्वार्थ भलाई	15
राहत कार्य एवं पुनर्वास	15
मुसलमानों की दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा)	15
इरतिदाद (धर्म-त्याग) और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का मसला	16
मिल्ली इज्तिमाईयत (मुस्लिम समाज की एकता)	16
आज़माइशों का सिलसिला और अल्लाह की मदद	17
इधर आ सितमगर हुनर आज़माएँ	19

इमारत (अध्यक्षता) की शानदार तारीख़	19
1967 में हल्क़ों (प्रांतों) के अमीर	20
बड़ी आज़माइश के बेहतरीन नतीजे	20
हुकूमत की रविश और जमाअत का रवैया	21
भारत-चीन युद्ध और जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का पक्ष	22
भारत-पाकिस्तान युद्ध और जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का पक्ष	23
पंडित सुंदर लाल की गवाही	24
जमाअत पर पाबन्दी और जमाअत की साबित क़दमी	26
जब जमाअत को तशद्दुद (हिंसा) का निशाना बनाया गया	27
न्याय एवं नैतिकता पर आधारित परिवर्तन की आह्वाहक (दाई)	28
भय और उत्तेजना पर नियंत्रण	28
जमाअत के इज्तिमाआत (सम्मेलन)	29
पहला मंज़र	30
दूसरा मंज़र	30
भारतीय भाषाओं में क़ुरआन का अनुवाद, शुरूआत कैसे हुई?	31
आगे की तरफ़ बढ़ते क़दम	32
ताज़ा आदाद व शुमार (आंकड़े)	35
देश व मुस्लिम समाज पर जमाअत का प्रभाव	35
फ़र्ज़ बुलाता है!	40

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

[अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।]

प्रस्तावना

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द अपने 75 साल के सफर में विभिन्न परिस्थितियों से गुज़री है और समय के तक़ाज़ों और चुनौतियों का पूरी गंभीरता, वैचारिक और नैतिक मज़बूती, ईश्वरीय मार्गदर्शन और ईश्वर पर विश्वास एवं धैर्य के साथ मुक़ाबला किया है। जमाअत की कोशिशों का इतिहास कई दिशाओं में फैला हुआ है:

ईश्वर के आगे सम्पूर्ण समर्पण यानि इस्लाम के संदेश को बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों तक पंहुचाना

- भारत की सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं में इस संदेश का प्रचार व प्रसार
- तरबियत यानि नैतिकता व चरित्र निर्माण के लिये निरन्तर प्रशिक्षण
- समाज के सभी ज़रूरतमंदों एवं पीड़ितों के लिए कल्याणकारी सेवाएं
- तालीमी (शैक्षिक) खिदमात
- मुस्लिम समाज में शैक्षिक व आर्थिक तरक्की व उनकी हिफ़ाज़त
- देश व समाज में न्याय, शान्ति, सद्भाव, आपसी प्रेम व विश्वास की स्थापना
- सामाजिक व देश की समस्याओं के निवारण का प्रयास
- नैतिक मूल्यों (अख़लाक़ी क़द्रों) को मज़बूत करना और समाज से बुराईयों को समाप्त करने का प्रयास
- युवाओं और महिलाओं को समाज निर्माण में सक्रिय करना
- शोषितों व पीड़ितों को न्याय व सम्मान दिलाने का प्रयास, आदि।

उपरोक्त सभी कोशिशों को क़ुरआन की रोशनी में कोई एक शीर्षक अगर दिया जा सकता है तो वह है इक़ामते दीन यानि न्याय व नैतिकता पर आधारित ईश प्रदत्त जीवन व्यवस्था की इंसानों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में स्थापना। यही जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का मुख्य उद्देश्य भी है।

इस दौरान कभी अन्जाने में और कभी जानबूझकर जमाअत पर साम्प्रदायिक होने

के झूठे आरोप भी लगाये गये। सरकारों ने कभी पाबंदी भी लगाई और जमाअत के सदस्यों को जेल भी जाना पड़ा। इन सब मुश्किल हालात में जमाअत ने न्याय, शान्ति, धैर्य व उच्च चरित्र को ही अपनी बुनियाद बनाया। इसका नतीजा यह निकला कि जमाअत की सही तस्वीर लोगों के सामने आने लगी, यहाँ तक कि जेलों में साथ रहे वैचारिक विरोधी भी जमाअत के लोगों के चरित्र से प्रभावित हुये बग़ैर न रहे। विरोध, आलोचना एवं प्रताड़ना के बावजूद जमाअत ईश्वर के आगे सम्पूर्ण समर्पण, उसके आदेशों की जीवन के हर क्षेत्र में पालना, समाज में न्याय, शान्ति, मानव गरिमा को स्थापित करने और अंतिम ईश्वरीय मार्गदर्शन क़ुरआन और ईश्वर द्वारा दी गई जीवन व्यवस्था इस्लाम के आधार पर चरित्र निर्माण एवं नैतिकता व न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के प्रयासों को जमाअत ने निरंतर जारी रखा।

काम का आग़ाज़ (शुरूआत)

देश की आज़ादी से छ: साल पहले 1941 में देश भर से 75 लोगों ने मिलकर ईश्वरीय संदेश को तमाम देशवासियों तक पंहुचाने और ईश्वरीय मार्गदर्शन इस्लाम पर आधारित जीवन व्यवस्था को व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन में स्थापित करने (यानि इक़ामते दीन) के काम की शुरूआत की और इस समूह को जमाअत-ए- इस्लामी का नाम दिया। मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी (रह०) को जमाअत-ए-इस्लामी का अमीर (अध्यक्ष) बनाया गया। इस समूह ने अपना संदेश लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, और लोग इस कारवां (समूह) में जुड़ने लगे। जमाअत के सदस्यों ने अन्तिम ईश्वरीय मार्ग दर्शन व मानवजाति के नाम अंतिम अवतरित संदेश क़ुरआन की रोशनी में, सम्पूर्ण नैतिक व चारित्रिक परिवर्तन का संदेश दिया एवं उन्हें इस कार्य के लिये प्रेरित किया और ईश्वर के इन्कार और भौतिकवादी विचारों पर आधारित जीवन व्यवस्था के नुक़सानात और नतीजों से लोगों को आगाह किया।

सभी देशवासियों को विशेष रूप से मुसलमानों को ईश्वर की बंदगी और उसके आदेशों की पालना की तरफ बुलाया और उन्हें इस वास्तविकता से बाख़बर किया कि उनकी इस दुनिया और इसके बाद आने वाली अनन्त दुनिया यानि आख़िरत की कामयाबी ईश्वर के आगे सम्पूर्ण समर्पण और उसके आगे जवाबदेही के रास्ते पर चलने पर निर्भर है।

उस वक़्त देश में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे थे, देश की आज़ादी का आन्दोलन अपने आख़री मरहले में पहुंच चुका था, इस हालात में जमाअत की इस गंभीर आवाज़ पर कम ही लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन जमाअत के सदस्य अपना संदेश पंहुचाते रहे।

गांधी जी की जमाअत के इज्तिमाअ (सम्मेलन) में शिरकत

आज़ादी से पहले तक जमाअत-ए-इस्लामी पूरे देश में तो क़ायम नहीं हो सकी थी, लेकिन इसके प्रभाव असाधारण थे। उसी वक्त की बात है कि पूरे देश की तरह बिहार राज्य भी साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में था। गाँधी जी पटना आए। उन दिनों पटना में जमाअत-ए-इस्लामी का सम्मलेन हुआ। आयोजकों ने गाँधी जी को भी इसमें शामिल होने के लिए दावत (निमंत्रण) दी। गाँधी जी ने खुशी-खुशी इस दावत को स्वीकार कर लिया। इज्तिमाअ में गाँधी जी शामिल हुए। पूरी कार्रवाई को देखा। जमाअत की दावत और पैग़ाम को ग़ौर से सुना। जमाअत-ए-इस्लामी के इस इज्तिमाअ में गाँधी जी का शामिल होना तहजीब (संस्कृति) पर हमला करनेवालों को पसन्द न आया। इन लोगों ने इस शिरकत पर एतिराज़ किया। इन लोगों के एतिराज़ का जवाब देते हुए गाँधी जी ने कहा :

> *"कल मैं जमाअत इस्लामी के इज्तिमा में शामिल हुआ। यह फ़क़ीरों का इज्तिमाअ था, उन फ़क़ीरों का नहीं, जो भीख माँगते हैं। यह उन फ़क़ीरों का इज्तिमाअ था जो नेकी फैलाते हैं, इनसानियत की ख़िदमत करते हैं, मैं और तू के फ़र्क़ को मिटाते हैं, लोगों से कहते हैं कि जब तुम खुदा के बन्दे हो तो ख़ुदा के फ़रमाँबरदार (आज्ञाकारी) भी बनो। इन लोगों के इज्तिमाअ में शामिल होने पर मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, खुशी है। अगर ये लोग मुझे फिर बुलाएँगे, तो मैं पैदल चलकर इनके इज्तिमाअ में जाऊँगा।" (दावत, 4 जुलाई, 1970)*

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना

15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, मगर अफसोस यह आज़ादी देश के बंटवारे के रूप में मिली। बंटवारे को रोका नहीं जा सका, और बंटवारे की हिंसा और बड़ी संख्या में लोगों के स्थानान्तरण (हिजरत, Migration) ने हालात को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया। हिन्दू और मुसलमानों के बीच फासले बढ़े, अविश्वास और संदेह का वातावरण बढ़ता गया, और पूरा देश और विशेष रूप से भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों में एक अनिश्चितता का वातावरण आज़ादी के बाद कई सालों तक रहा। साम्प्रदायिक दंगों और बड़े पैमाने पर क़त्लेआम बहुत भयानक और देश के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था।

देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद भारत में जमाअत के सदस्यों की संख्या तक़रीबन 300 थी। ऐसे नाज़ुक और मुश्किल हालात में 16 से 18 अप्रैल 1948 में इलाहाबाद में जमाअत के 42 प्रतिनिधि सदस्य सलाह-मशवरे के लिए जमा हुए और

नए हालात में अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह निभाई जा सकती है इस पर गंभीर विचार हुआ और एक साहसिक और एतिहासिक निर्णय लिया गया कि:-

इस नए और मुश्किल हालात में ईश्वर की बन्दग़ी और उसके आगे समर्पण और जवाबदेही के इस संदेश को देशवासियों तक पंहुचाना हमारा दायित्व है और यह दायित्व ईश्वर ने हमें दिया है, और हम इस दायित्व को पूरे धैर्य और साहस के साथ अदा करेंगें। इस काम के लिये एक संगठन की स्थापना कि निर्णय लिया गया और तय किया गया कि इस संगठन का नाम जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द होगा। इस संगठन का कार्यक्षेत्र भारत (Indian Union) होगा और कोई भी भारतीय नागरिक (Citizen of Indian Union) जो इसके उद्देश्य और कार्यप्रणाली से सहमत हो, इसका सदस्य बन सकेगा।

इसी इज्तिमाअ (सम्मेलन) में मौजूद (अरकाने जमाअत) सदस्यों ने सर्व सम्मति से मौलाना अबुल-लैस इस्लाही नदवी साहब (रह०) को जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का अमीर (राष्ट्रीय अध्यक्ष) चुना, और अमीर जमाअत ने सदस्यों से सलाह-मशवरा करके मुहम्मद यूसुफ़ साहब (रह०) को जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का क़य्यिम (सेक्रेट्री जनरल) मुक़र्रर (नियुक्त) किया और *मर्कज़ी मजलिसे शूरा* (केन्द्रीय सलाहकार परिषद) का गठन भी किया।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना आज़ाद भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय और घटना थी।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के सदस्य (अरकान) ऐसे मुश्किल और नाज़ुक हालात में पूरी तरह साबित क़दम रहे (अपनी विचारधारा और उद्देश्य पर मज़बूती से जमे रहे), न तो उन्होंने हालात के दबाव का कुछ असर क़ुबूल किया और न ही मायूसी का शिकार हुए।

अमीरे जमाअत (राष्ट्रीय अध्यक्ष) का पहला चुनाव: शानदार परंपराओं की शुरुआत

16 से 18 अप्रैल 1948 को इलाहाबाद में हुए इज्तिमाअ (सम्मेलन) में जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना के ऐतिहासिक निर्णय के बाद, अमीरे जमाअत के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, मौजूद सदस्यों की ओर से प्रस्तावित किये गए पांच नामों पर उनके व्यक्तित्व के बारे में सोच विचार किया गया। सबकी सहमति मौलाना अबुल- लैस इस्लाही नदवी साहब (रह०) के नाम पर हुई। यह सारी कार्यवाही उनकी ग़ैर मौजूदगी (अनुपस्थिति) में की गई। उसके बाद उन्हें जलसागाह (मीटिंग हाल) में

बुलाया गया, उन्होंने अपनी मजबूरियाँ, कमज़ोरियाँ और परेशानियां बयान की

सदस्यों ने मौलाना अबुल-लैस इस्लाही नदवी (रह०) की तमाम बातें और उनके उज्र (परेशानियां व मजबूरियाँ) सुनने के बाद भी अपनी राय और निर्णय नहीं बदला।

मौलाना अबुल-लैस इस्लाही नदवी साहब (रह०) को जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का अमीर बनाये जाने के बाद उन्होंने अपने बारे में दर्ज ज़ैल ख्यालात का इज़हार किया। मौलाना (मरहूम) लिखते हैं:

> *" अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी ज़ात (व्यक्तित्व) के ताल्लुक़ से कभी भी ग़लत फ़हमी में मुब्तिला नहीं हुआ और न ही मैंने अपनी सलाहियतों का अन्दाज़ा करने में कभी धोखा खाया है, इसलिये इलाहाबाद के इज्तिमाअ में इमारत (अमीरे जमाअत के ओहदे) के लिए इस नाचीज़ के नाम पर सहमति की गई तो मैं हैरत में डूबकर रह गया और अपने हक़ में इसे एक बहुत बड़ा हादसा (दुर्घटना) समझा।"*

मौलाना अबुल-लैस इस्लाही (रह०) ने अपने अमीर बनाये जाने के बाद मौजूद अरकान (सदस्यों) के सामने मज़बूत इरादे, हिम्मत और हिकमत व बसीरत (दूरदर्शिता) से भरपूर तक़रीर की और कहा:

> *"हमारे रास्ते में बहुत-सी कठिनाइयाँ और बाधाएँ मौजूद हैं। हम ख़तरों को दावत तो नहीं देते, हमको हर हाल में, उससे पनाह ही माँगनी चाहिए और ख़ासकर ऐसे ख़तरों से जिनका सामना हम नहीं कर सकें, लेकिन जब आपने दीन के रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया है तो ख़तरों के मुक़ाबले के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। ख़तरों में साबित क़दम रहकर ही हम कामयाबी और अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह का तरीक़ा यही है, जो अब तक चला आ रहा है। आजमाइशों में साबित- क़दम रहकर ही कामयाबी और सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन बेअस्ल और बेबुनियाद ख्यालों और आशंकाओं से अपने अज़्म (संकल्प) में कमज़ोरी न आने दें। इस वक़्त आपको अपने काम के सिलसिले में बहुत कुछ सहूलतें भी मिल गई हैं। बहुत से लोग जो आपके काम में रुकावट पैदा कर रहे थे, उनका ज़ोर ख़त्म हो गया है और अब वही लोग हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे मौक़े से फ़ायदा न उठाना ग़फ़लत होगी। ऐसे मौक़े क़ुदरत की तरफ़ से कम ही मिलते हैं। अगर हम मुसलमानों की सही रहनुमाई का फ़र्ज़ अंजाम न दे सके तो इसके लिए हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। ज़रूरत है कि अपनी सलाहियतों से काम लें और लोगों के सामने अपने नस्बुल - ऐन (मिशन, लक्ष्य) को वाज़ेह करें।*
>
> *(तशकीले- जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, क्यों और कैसे)*

अल्लाह की मदद साथ रही

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना के वक़्त जमाअत के बैतुल-माल की स्थिति क्या थी और फिर अल्लाह की मदद किस तरह साथ रही इसका अंदाज़ा मौलाना अबुल-लैस साहब (रह०) के बयान से किया जा सकता है:

> *"यह बात मालूम होने पर आपको बिलकुल ताज्जुब (आश्चर्य) नहीं होना चाहिए कि जमाअत के अमीर की हैसियत से जब मदरसतुल-इस्लाह सराय मीर से मैंने जमाअत के काम की शुरूआत की तो शुरू में काम चलाने के लिए मुझे एक क़रीबी बस्ती सीधा-सुल्तानपुर के मक़बूल अहमद नाम के एक निहायत मुख्लिस रुक्ने-जमाअत से पचास रुपए क़र्ज़ के तौर पर लेने पड़े, लेकिन अल्लाह तआला ने अपने उस मक़बूल बंदे से मिली रक़म में इतनी बरकत दी कि हम इसका सपने में भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अल्लाह तआला की इस बेहद व हिसाब और बेइंतिहा मेहरबानी और एहसान पर हम उसका जितना शुक्र अदा करें यक़ीनन वह कम ही होगा।"*
>
> *(तशकीले-जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, क्यों और कैसे, पृष्ठ 92-93)*

जमाअत के मर्कज़ (मुख्यालय) के लिए जगह की पेशकश

बेबसी और बेसामानी की हालत में अल्लाह की मदद इस तरह ज़ाहिर हुई कि लखनऊ ज़िले की मलीहाबाद तहसील में एक जगह है, जिसका नाम महमूद नगर है, वहाँ के रुक्ने- जमाअत मुंशी हिदायत अली साहब के पास काफ़ी ज़मीन थी। उनकी तरफ़ से एक मकान जिसकी तामीर चल रही थी और ज़मीन के दो और टुकड़े जमाअत के नए मर्कज़ के लिए वक़्फ़ करने की पेशकश हुई। मकान की क़ीमत और तीनों ज़मीनों का कुल एरिया काफ़ी बड़ा था। पेशकश के अलफ़ाज़ थे:

> *"मेरी नीयत इन तीनों ज़मीनों के बारे में यह है कि यह जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के मर्कज़ के काम में आए। मैं बहरहाल इन तीनों ज़मीनों को जमाअत को पेश करता हूँ, इनसे जमाअत जो चाहे काम ले।"(तशकीले-जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, क्यों और कैसे, पृष्ठ 92-93)*

जमाअत ने इस पेशकश को क़बूल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ बाग़ भी जमाअत के नाम वक़्फ़ कर दिया।

28 अप्रैल 1948 को आयोजित मजलिसे-शूरा के इजलास की रूदाद में है :

> *"सब लोगों के इत्तिफ़ाक़ (सर्व-सहमति) के साथ यह तय पाया कि हिदायत*

अली साहब की पेशकरदा एक क़ता (टुकड़ा) बाग़ अम्बा या आराज़ी 27 बीघा ज़मीन इस शर्त के साथ क़बूल की जाती है कि हिदायत अली साहब पाँच साल तक इसकी आमदनी से मर्कज़ को स्कूल के सिलसिले में दो हज़ार रुपये सालाना देते रहेंगे और बाक़ी से खुद फ़ायदा उठाते रहेंगे और ऊपर ज़िक्र की गई मुद्दत के गुज़र जाने के बाद सारा मुनाफ़ा स्कूल और जमाअत की दूसरी ज़रूरतों के लिए मर्कज़ को सौंप देंगे।"

कुछ महीने जमाअत का मर्कज़ महमूद नगर में रहा। वहाँ स्कूल और मक्तबा क़ायम किया गया। इस दौरान यह महसूस किया गया कि मर्कज़ ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ जमाअत के कामों से मुताल्लिक़ आसानियाँ मौजूद हों। चुनाँचे मर्कज़ के लिए रामपुर (यू.पी.) को चुना गया।

रामपुर में भी अल्लाह की मदद शामिले हाल रही। वहाँ जमाअत के एक हमदर्द सय्यद अमजद अली (रह.) ने जमाअत को एक बड़ी इमारत और कुछ मकान पेश किए। इस तरह मर्कज़, मक्तबा और स्कूल रामपुर मुन्तक़िल हो गए।

मौलाना अबुल-लैस साहब अल्लाह तआला के इस ग़ैबी मदद का शुक्र व एतिराफ़ करते हुए लिखते हैं:

"अगर हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद हर काम बनानेवाले खुदा ने हमारे नज़्म को बिखरने से बचाने के लिए हिदायत अली साहब की पेशकश का इन्तिज़ाम किया था, तो अब जब यह उबूरी दौर बीत गया है और जमाअत का नज़्म क़ायम हो गया है, तो वही ख़ुदा अब हमारे काम को आगे बढ़ाने का इन्तिज़ाम रामपुर में कर रहा है।" (तशकीले-जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, क्यों और कैसे)

इख़लास की शानदार मिसाल

महमूद नगर से रामपुर जमाअत का मर्कज़ मुन्तक़िल हो जाने पर मुंशी हिदायत अली साहब का क्या रद्दे - अमल (प्रतिक्रिया) रहा? मौलाना अबुल-लैस साहब लिखते हैं:

"आख़िर में एक और बात अपने रुफ़क़ा के इल्म (जानकारी) में लाना चाहता हूँ। मर्कज़ के मुन्तक़िल होने का यह फ़ैसला हिदायत अली साहब के लिए फ़ितरी तौर पर काफ़ी तकलीफ़देह होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ जमाअत की मस्लिहतों के तहत इस फ़ैसले का ख़ैर-मक़दम (स्वागत) निहायत खुशी के साथ किया है। मुझे उनकी यह बात उनके वक़्फ़ से ज्यादा क़ीमती (मूल्यवान) मालूम होती है।"

(तशकीले-जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, क्यों और कैसे, पृष्ठ: 109)

इसी तरह जब मर्कज़ रामपुर से दिल्ली मुन्तक़िल (स्थांतरित) हो रहा था तो सय्यद अमजद अली (रह०) ने बुरा मानने के बजाय दिल्ली जा करके हर तरह से मदद की।

जमाअत की उज्ज्वल परंपरा : सलाह व मश्वरे की व्यवस्था (शूराई निज़ाम)

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की तारीख़ का एक रौशन पहलू यह है कि इसका गठन शूराई अमल (सलाह व मश्वरे) के ज़रिये से हुआ, शूराई अमल के ज़रिये से अमीर का चुनाव हुआ और शूराई अमल को जारी रखने के लिए मजलिसे-शूरा बनाई गई।

जमाअत के अमीर (अध्यक्ष) की ज़िम्मेदारी सम्भाल लेने के बाद मौलाना अबुल-लैस साहब ने जनाब मुहम्मद यूसुफ़ साहब, क़य्यिम जमाअत (राष्ट्रीय महासचिव) के अलावा नीचे लिखे लोगों को वक्ती तौर से सिर्फ़ एक साल के लिए शूरा का रुक्न मुन्तख़ब किया:

मौलाना अख़तर अहसन इस्लाही साहब (सरायमीर), चौधरी शफ़ी अहमद साहब (बाराबंकी), हकीम मुहम्मद ख़ालिद साहब (इलाहाबाद), जनाब इसमाईल इख़लास साहब (मुम्बई), जनाब मुहम्मद यूसुफ़ सिद्दीक़ी साहब (टोंक), मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब (आज़मगढ़), मौलाना मुहम्मद इसमाईल साहब (मद्रास), जनाब मुहम्मद यूनुस साहब (हैदराबाद), जनाब हसनैन सय्यद साहब (बिहार), हाफ़िज़ अब्दुत-तव्वाब साहब (कलकत्ता)।

इसके बाद जल्द ही जमाअत का तंजीमी अमल (संगठनात्मक प्रक्रिया) पूरा हुआ और मजलिसे-शूरा का चुनाव अरकाने जमाअत के नुमाइन्दों (प्रतिनिधियों) के ज़रिये से होने लगा। जमाअत की तारीख़ गवाह है कि इस पूरे दौर में पूरी शूराइयत (आपसी सलाह व मश्वरे) के साथ इसका सफ़र जारी रहा। अल्लाह की मेहरबानी से कभी किसी आईनी बुहरान (संवैधानिक संकट) का मामूली-सा अंश तक महसूस नहीं किया गया।

1951 की मजलिसे-शूरा के अरकान

1951 में बाक़ायदा मजलिसे शूरा का चुनाव किया गया:

(1) जनाब मुहम्मद यूसुफ़ सिद्दीक़ी (टोंक), (2) मौलाना सिबगतुल्लाह बख़्तयार (मद्रास, चेन्नई), (3) जनाब वी. पी. मुहम्मद अली (मालाबार), (4) मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (सरायमीर), (5) मौलाना सय्यद हामिद अली (शाहजहाँपुर), (6)

मौलाना हबीबुल्लाह (हज़ारीबाग़), (7) मौलाना मुहम्मद अब्दुल हई (रामपुर), (8) जनाब हसनैन सय्यद (दरभंगा), (9) जनाब शाह ज़ियाउल-हक़ (गंगोह), (10) जनाब मुहम्मद यूनुस (हैदराबाद), (11) जनाब सय्यद अब्दुल क़ादिर (हैदराबाद), (12) मौलाना अख़्तर अहसन इस्लाही (सरायमीर), (13) जनाब चौधरी शफ़ी अहमद (बाराबंकी), (14) जनाब मुहम्मद यूसुफ़ (क़य्यिम जमाअत)।

कफ़ाफ़ (वज़ीफ़े) के सिलसिले में क़ीमती उसूल

तंज़ीमों (संगठनों) और इदारों (संस्थानों) के लिए मालियात (वित्त) का मामला सबसे संवेदनशील होता है। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की क़ियादत इस हवाले से हमेशा सावधान रही और उसका दामन हमेशा बेदाग़ रहा। ज़िम्मेदारों के कफ़ाफ़ (वज़ीफ़े) के बारे में अमीरे-जमाअत ने शुरू ही में एक सुनहरी उसूल दिया, उन्होंने मरकज़ी मजलिसे-शूरा (केंद्रीय सलाहकार परिषद्) की पहली बैठक में फ़रमाया:

> *"ओहदे (पद) और मनसब का लिहाज़ हमारे सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ ज़रूरतों को मेयार के तौर पर सामने रखना चाहिए। इसी तरह इस तरीक़े पर ग़ौर करना भी सही नहीं है कि किसी के पिछले ख़र्च कम थे या ज़्यादा, बल्कि कफ़ाफ़ (वेतन) तय करने में सिर्फ़ यह बात सामने रखनी चाहिए कि एक शख़्स के लिए एक मुनासिब इत्मीनान-बख़्श ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए कितनी रक़म काफ़ी होगी। यह देखे बिना कि वह इससे पहले किस तरीक़े पर ज़िन्दगी गुज़ार रहा था और वही रक़म (राशि) मंज़ूर (स्वीकृत) की जानी चाहिए।"*

क़ाबिले-ज़िक्र बात यह है कि इस उसूल की रौशनी में अमीरे- जमाअत की माहाना तनख़्वाह 100 रुपये, जबकि क़य्यिम जमाअत (जनरल सेक्रेटरी) की तनख़्वाह150 रुपये तय पाई।

चार सूत्रीय कार्य योजना

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने अपनी स्थापना (अप्रैल 1948) के फौरन बाद निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर आधारित कार्ययोजना तैयार की और इसी के मुताबिक़ अपना कार्यक्रम (प्रोग्राम) भी तैयार किया:

(1) फ़िरक़ावाराना (साम्प्रदायिक) टकराव की समाप्ति और इस मक़सद से मुसलमानों को फ़िरक़ावाराना हुक़ूक़ (साम्प्रदायिक अधिकारों) की लड़ाई से बचने की सलाह।

(2) मुस्लिम समाज में दीन का इल्म फैलाया और आम किया जाए और उनके एक बड़े हिस्से को इल्मी व अमली, तमद्दुनी (सांस्कृतिक) व समाजी हैसियत से इस्लाम का नुमाइंदा बनाया जाए।

(3) मुल्क के ज़हीन तबक़े (बुद्धिजीवी वर्ग) को इस्लामी तहरीक की तरफ़ दावत दी जाए और उन पर ख़ास ध्यान दिया जाए।

(4) तहरीके-इस्लामी के कारकुन हिन्दुस्तान की इलाक़ाई (क्षेत्रीय) ज़बानें सीखें, उनमें लिखने और बोलने की सलाहियत पैदा करें और इस बात की इन्तिहाई कोशिश की जाए कि इन ज़बानों में जल्द-से-जल्द इस्लाम का ज़रूरी लिट्रेचर मुन्तक़िल (स्थानांतरित) हो जाए।

(जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के सत्ताईस साल, लेखक : अफ़ज़ल हुसैन)

बाद में काम के तरीक़े को पाँच हिस्सों में इस तरह पेश किया गया:

(1) मुल्क के बाशिंदों के बीच हरीफ़ाना (शत्रुतापूर्ण) टकराव, फ़िरक़ावाराना (साम्प्रदायिक) तनाव और अविश्वास की सूरतेहाल को बदला जाए और देश में सद्भाव, मुहब्बत और आपसी भरोसे की फ़िज़ा बहाल की जाए।

(2) हिन्दुस्तान के मुसलमानों को इस्लाम की जीती-जागती तस्वीर और अमली नमूना बनाने की कोशिश की जाए, ताकि वे ख़ैरे - उम्मत (उत्तम समुदाय) और हक़ की दावत देनेवाले की हैसियत से इस मुल्क की तामीर के सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकें।

(3) मुल्क के लोगों के सामने इस्लाम को उसके सही और उसूली शक्ल में पेश किया जाए और इस मक़सद के लिए हिन्दी, अंग्रेज़ी और तमाम इलाक़ाई (क्षेत्रीय) ज़बानों में क़ुरआन और हदीस के अनुवाद और बुनियादी दीनी साहित्य मुहैया किया जाए।

(4) मिल्लत के अहम और बुनियादी मसले, जैसे दीनी तालीम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, दीनी शऊर (चेतना) की बेदारी (जागरूकता) और मिल्ली नज़्म व इत्तिहाद के सिलसिले में मनसूबाबन्द (योजनाबद्ध) कोशिशें की जाएँ।

(5) मुल्क को पेश आनेवाले गम्भीर मसाइल (समस्याएँ) जैसे लादीनियत (धर्महीनता), इलहाद (नास्तिकता), बदअख़लाक़ी (अनैतिकता), मफ़ादपरस्ती, तानाशाही रुझानों, बीमारी और जिहालत, ग़रीबी और मोहताजी वग़ैरा को दूर करने की जिद्दोजहद की जाए। मज़हब व मिल्लत का लिहाज़ किए बिना मुल्क के पिछड़े,

कमजोर, मज़लूम और बेसहारा लोगों की मदद की जाए और इस कोशिश (संघर्ष) और मदद में दूसरी जमाअतों का सहयोग किया जाए और उनसे सहयोग हासिल किया जाए। (सालाना रिपोर्ट: अप्रैल 1972 से मार्च 1973)

मुस्लिम समाज के साथ निःस्वार्थ भलाई

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने कभी इसकी परवाह नहीं की कि मुस्लिम समाज (मिल्लत) के बहुत से गरोहों की तरफ़ से जमाअत की सख़्त मुख़ालफ़त हो रही थी, पूरे निःस्वार्थ भाव और इख़लास के साथ वह मिल्लत की भलाई का हक़ अदा करती रही।

हिन्दुस्तानी मुसलमानों के वे क्या गम्भीर मसले थे जिनके बारे में जमाअत ने सरगरम (सक्रिय) भूमिका निभाई?

अफ़ज़ल हुसैन साहब, नीचे लिखी बातों का ज़िक्र ख़ास तौर से करते हैं:

राहत कार्य एवं पुनर्वास

अप्रैल सन् 1950 ई॰ में जमाअत ने तय किया कि जहाँ तक हो सके दंगों से मुतास्सिर होनेवालों के बीच रिलीफ़ का काम अंजाम दे। इस फ़ैसले के बाद जमाअत का नियम बन गया कि वह हर छोटे-बड़े फ़साद के मौके पर रिलीफ़ का काम अंजाम दे। बदक़िस्मती से फ़साद इतनी अधिकता से होते रहे कि जमाअत का ध्यान और अफ़रादी ताक़त का एक बड़ा हिस्सा इस काम में ख़र्च होता रहा। शुरूआत में इस मैदान में काम करने वालों का लगभग फ़ुक़दान (अभाव) था, लेकिन धीरे-धीरे हालात बदलते गए और मिल्लत की दूसरी जमाअतों और अंजुमनों ने भी इस मैदान में काम करना शुरू कर दिया।

मुसलमानों की दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा)

जमाअत ने अप्रैल 1950 में तय किया कि तालीम के मसले (समस्या) पर मिल्लते-इस्लामिया के मुख़्तलिफ़ पेशवाओं और लीडरों के साथ बातचीत की जाए और मिल-जुलकर काम करने की राहें तलाश की जाएँ। मुनासिब सहयोग न मिलने की वजह से जमाअत को अपने तौर पर ही काम को जारी रखना पड़ा। एक मर्कज़ी दर्सगाह (स्कूल) का क़ियाम (स्थापना) पहले ही वुजूद में आ चुका था। धीर-धीरे

मक़ामी पाठशालाओं (स्कूल) के क़ियाम की तरफ़ तवज्जोह दी जाने लगी, साथ ही इस बात की भी कोशिश की गई कि एक मेयारी निसाब के मुताबिक़ दर्सियात (पाठ्य-पुस्तकें) तैयार की जाएँ, जो अल्लाह का शुक्र है कि तैयार हुईं और इस वक्त भी मुल्क की मुख़्तलिफ़ दर्सगाहों (स्कूलों) में पढ़ाई जा रही हैं।

इरतिदाद (धर्म-त्याग) और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का मसला

जमाअत की मजलिसे-शूरा ने जून और नवम्बर सन् 1956 ई. में मुस्लिम समाज में धर्म-त्याग की कोशिशों और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप के इरादों का नोटिस लिया और फ़ैसला किया कि इन दोनों ख़तरों की तरफ़ मुसलमानों को ध्यान दिलाया जाए और असरदार क़दम उठाए जाएँ, ताकि इन ख़तरों की रोकथाम हो सके। नवम्बर 1956 की शूरा में मिल्ली मसाइल (समस्याओं) की नौईयत और इक़ामतेदीन की तहरीक से उनके ताल्लुक़ के बारे में ग़ौर-व-फ़िक्र किया गया। ये मसले ऐसे थे कि जिनका ताल्लुक़ सीधे तौर पर या किसी ज़रिये से तहरीक के मिज़ाज, फ़ायदों और मसलिहतों से था। मिसाल के तौर पर दीनी तालीम, इरतिदाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप वग़ैरा।

इन मसाइल के बारे में यह फ़ैसला किया गया कि जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द अपने सीमित साधनों के बावजूद अमली कोशिश और जिद्दोजहद करेगी। जहाँ तक मुमकिन होगा उम्मत के दूसरे गरोहों और जमाअतों को उनकी गम्भीरता की तरफ़ ध्यान दिलाएगी और मौक़े और ज़रूरत के मुताबिक़ मिलकर और एक-दूसरे के सहयोग से काम भी करेगी। लेकिन इसकी कोशिश होगी कि इन सभी मसलों में उसका अन्दाज़ ऐसा हो कि जिससे जमाअत की उसूली (सैद्धांतिक) हैसियत और दाइयाना किरदार आहत होने न पाए।

मिल्ली इज्तिमाईयत (मुस्लिम समाज की एकता)

मुस्लिम समाज में इज्तिमाई निज़ाम और एकता पैदा करने की ज़रूरत महसूस की गई और यह एहसास शिद्दत से उभरा कि इनको अपने मसाइल के हल के लिए और अपने मिल्ली वुजूद की हिफ़ाज़त के लिए इज्तिमाई कोशिश और जिद्दोजुहद पर उभारा जाए। इसलिए अप्रैल 1950 में जमाअत की मजलिसे-शूरा ने जमाअत के रुफ़क़ा को हिदायत की कि वे दंगों के सिलसिले में मिल्लते इस्लामिया के मुख़्तलिफ़ रहनुमाओं से संपर्क करें और उनकी दूसरी जमाअतों के साथ इस सिलसिले में सहयोग करें।

(जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के सत्ताईस साल, लेखक: अफ़ज़ल हुसैन)

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने मुसलमानों का एक साझा प्लेटफ़ार्म तैयार करने में आगे बढ़कर सहयोग किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत और दीनी तालीमी काउंसिल इसके उदाहरण हैं। जमाअत की कोशिश रही कि मिल्लत की संयुक्त संस्थाएं अंदरूनी सियासत का शिकार न हो जाएँ, इसलिए जमाअत ने कभी खुद को उनकी क़ियादत (नेतृत्व) के लिए आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत रखने की कोशिश की और मिल्लत के दूसरे योग्य लोगों को आगे बढ़ाया।

आज़माइशों का सिलसिला और अल्लाह की मदद

जमाअत की कोशिशों से मुल्क के बहुत से लोगों को अपने अख़लाक़ के सुधार और अपनी सीरत की तामीर में बहुत मदद मिली और इसके नतीजे में जमाअत के बारे में ख़ास और आम लोगों के अन्दर एक अच्छी राय क़ायम होती चली गई। होना तो यह चाहिए था कि मुल्क की लोकतांत्रिक व कल्याणकारी सरकार भी इन कोशिशों को अच्छी नज़र से देखती, लेकिन उसे न जाने क्यों यह बात गवारा न हो सकी और उसने इन कोशिशों की राह में तरह-तरह की रुकावटें डालनी शुरू कर दीं, यहाँ तक कि फ़रवरी 1954 में यूपी सरकार ने जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के अमीर, क़य्यिम और मर्कज़ के एक और ज़िम्मेदार को नजरबन्दी एक्ट के तहत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जेल भेज दिया और इन तीनों के मकानों की आठ-नौ घंटे तक तलाशी ली और पूरी बारीकी के साथ एक-एक फ़ाइल की छानबीन की। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि जिस इमारत को जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने अपने मर्कज़ के लिए किराए पर ले रखा था, जो बाद में कस्टोडियन के क़ब्ज़े में आ गया था और जमाअत पूरी पाबन्दी के साथ उसे उसका किराया हर महीने अदा करती रही थी। तीन दिन की सख़्त और तानाशाही नोटिस पर सरकार ने उस घर को ख़ाली करा लिया। यह बात वाजेह तौर पर पब्लिक मफ़ाद (सार्वजनिक हित) के ख़िलाफ़ थी कि एक ऐसी बिल्डिंग से उसके पुराने किराएदार को बिना किसी मुनासिब वजह के बेदख़ल कर दिया जाए, जिसका कोई किराएदार मौजूद न हो। चुनाँचे यह एक हक़ीक़त है कि यह बिल्डिंग डेढ़-दो साल तक पूरी तरह खाली पड़ी रही, लेकिन हुकूमत ने इस बात का भी कोई ख़याल नहीं किया। जो मुस्लिम और अन्य देशवासी जमाअत से वाक़िफ़ (परिचित) थे और जिन्हें इसको क़रीब से देखने का मौक़ा मिला था, उन्हें इस बात पर सख़्त हैरानी हुई। वे इसे सरकार की खुली धांधली महसूस करते थे। चुनाँचे जब यूपी विधानसभा में इन गिरफ्तारियों के बारे में सवाल उठाए गए, तो सरकार ने अपने ग़लत क़दम उठाए जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय जवाब देते हुए कहा कि इन लोगों को कुछ शुब्हात (सन्देहों)

की बुनियाद पर उनकी इनफ़िरादी हैसियतों में गिरफ्तार किया गया है। जमाअत से इन गिरफ़्तारियों का कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि यह बात किसी भी दर्जे में भी अमल के मुताबिक़ न थी। यह एक हक़ीक़त है कि उन लोगों को उनकी इनफ़िरादी हैसियतों में नहीं, बल्कि जमाअत के ज़िम्मेदार होने की हैसियत में गिरफ्तार किया गया था। चुनाँचे अभी इन तीन ज़िम्मेदारों की गिरफ्तारी पर पूरे 6 महीने भी नहीं बीते थे कि दोबारा अगस्त 1954 में फिर से नज़रबन्दी एक्ट का इस्तेमाल किया गया और इसके तहत उन तीन ज़िम्मेदारों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो पहले गिरफ्तार किए गए ज़िम्मेदारों की जगह पर काम कर थे। उन्हें भी ज़िम्मेदार होने की हैसियत से ही गिरफ्तार किया गया था। इन 6 लोगों में से किसी को भी साल भर की मुद्दत पूरी होने से पहले रिहा नहीं किया गया। तीन साल के अन्दर एक-दो बार नहीं, बल्कि पाँच बार देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे ही ग़लत क़दम उठाए गए, लेकिन अफ़सोस कि एक बार भी हुकूमत को देश के आम क़ानूनों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। हालाँकि जमाअत ने भी और राष्ट्रीय मीडिया ने भी बार-बार हुकूमत को इस तरफ़ ध्यान दिलाया कि अगर हुकूमत के पास जमाअत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो उसे खुली अदालत में लाकर पेश करे।

अस्ल में जमाअत के नसबुलऐन (लक्ष्य), काम करने का तरीक़ा, प्रोग्राम और अमली रिकॉर्ड, ग़रज़ कि किसी चीज़ में भी कोई ऐसी बात न थी, जो किसी दर्जे में क़ाबिले-एतिराज़ (आपत्तिजनक) और मज़म्मत के क़ाबिल (निंदनीय) ठहराई जा सकती हो और इसीलिए हुकूमत खुली अदालत में कोई कार्रवाई करने से मजबूर रही।

इन इक़दामात (उठाए गए क़दमों) से हुकूमत को क्या उम्मीदें थीं, हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने इस आज़माइश में जमाअत को साबित क़दम रखा और साथ-ही-साथ इसका नतीजा यह भी मिला कि मुल्क के इन हिस्सों में अपने ज़राए (साधनों) और वसाइल (संसाधनों) की कमी की वजह से जमाअत को परिचित कराना हमारे लिए आसान न था। हुकूमत के उठाए गए इन क़दमों से खुद-ब-खुद जमाअत का कुछ-न-कुछ परिचय हुआ और लोग इसे समझने की तरफ़ मुतवज्जेह हुए। अख़बारों ने आमतौर पर हुकूमत के इस अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक रवैये की निंदा की और इंसाफ़ पसन्द मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम लीडरों व पेशवाओं ने भी इन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ अपने विचारों का खुल्लम-खुल्ला इज़हार किया।

(दूसरा कुल हिन्द इज्तिमा नम्बर, दावत, पृष्ठ: 189-190)

इधर आ सितमगर हुनर आज़माएँ

सन् 1954 में अमीरे-जमाअत मौलाना अबुल-लैस साहब, क़य्यिम जमाअत मुहम्मद यूसुफ़ साहब और माहनामा ज़िन्दगी के संपादक मौलाना सय्यद हामिद अली साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जमाअत की शूरा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब को अमीरे-जमाअत चुना। इसके छह महीने बाद मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब, जनाब शफ़ी मूनिस साहब और मौलाना अब्दुल हई साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो जनाब सय्यद अब्दुल-क़ादिर साहब वक़्ती तौर पर अमीरे-जमाअत चुन लिए गए। इसके बाद शूरा की राय से जनाब सय्यद हामिद हुसैन साहब को अमीरे- जमाअत चुना गया। इस दौरान तमाम सरगरमियाँ जारी रहीं। जेल से छूटने के बाद मौलाना अबुल-लैस साहब ने अमीर की ज़िम्मेदारी सम्भाल ली और पूरा नज़्म (व्यवस्था) पहले की तरह बहाल हो गया। इस तरह जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने अपनी शुरूआत ही में अपनी तंज़ीमी व अख़लाक़ी मज़बूती को साबित कर दिया।

इमारत (अध्यक्षता) की शानदार तारीख़

जमाअत के पहले अमीर (अध्यक्ष) मौलाना अबुल-लैस इस्लाही नदवी साहब (रह.) थे, जिन्होंने बेहद कठिन दौर में लगातार 24 साल (सन् 1948 से 1972 ई. तक) तहरीक की क़ियादत की। बाद में इस ज़िम्मेदारी के लिए मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ साहब को चुना गया, जो 9 साल (सन् 1972 से 1981 ई.) तक जमाअत के अमीर रहे। फिर मौलाना अबुल-लैस साहब को दोबारा अमीरे- जमाअत चुना गया और उन्होंने सन् 1990 ई. तक इमारत (अध्यक्षता) की ज़िम्मेदारी सम्भाली। इसके बाद सन् 2003 ई. तक मौलाना सिराजुल-हसन साहब (रह०) जमाअत के अमीर रहे। इनके बाद यह ज़िम्मेदारी डॉक्टर मुहम्मद अब्दुल-हक़ अंसारी साहब (रह.) को सौंपी गई, जो सन् 2003 से 2007 ई. तक अमीर रहे। इसके बाद मार्च 2019 ई. तक मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी साहब अमीरे-जमाअत रहे और अब नौजवान क़ाइद (नेतृत्वकर्ता) और मुफ़क्किर (चिंतक) सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के अमीर (अध्यक्ष) हैं। इमारत (अध्यक्षता) को सौंपने और तब्दीली का यह पूरा सफ़र ठोस और मज़बूत शूराई बुनियादों पर जारी रहा।

इस पूरी मुद्दत में मुहम्मद यूसुफ़ साहब, अफ़ज़ल हुसैन साहब, शफ़ी मूनिस साहब, मुहम्मद जाफ़र साहब, नुसरत अली साहब, इंजीनियर मुहम्मद सलीम साहब क्रमवार

क़य्यिम जमाअत (जमाअत के सेक्रेटरी जनरल) रहे। मौजूदा क़य्यिम जमाअत टी. आरिफ़ अली साहब हैं।

1967 में हल्क़ों (प्रांतों) के अमीर

(1) जनाब हसनैन सय्यद (हल्क़ा आसाम), (2) मौलाना शम्स पीरज़ादा (हल्क़ा बम्बई, मुम्बई), (3) जनाब सिराजुल-हसन (हल्क़ा मैसूर), (4) जनाब अब्दुर्रज़्ज़ाक़ लतीफ़ी (हल्क़ा हैदराबाद), (5) जनाब अब्दुल-अज़ीज़ (हल्क़ा मद्रास व हल्क़ा आन्ध्रा), (6) जनाब के. सी. अब्दुल्लाह मौलवी (हल्क़ा केरला), (7) जनाब मज़हरुल-हक़ (हल्क़ा राजस्थान), (8) जनाब अब्दुल बारी (हल्क़ा शुमाली बिहार), (9) मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही (हल्क़ा भोपाल), (10) जनाब महमूद अहमद ख़ाँ (हल्क़ा औरंगाबाद), (11) जनाब मुहम्मद शफ़ी मूनिस (हल्क़ा मग़रिबी यू.पी. व दिल्ली), (12) जनाब अब्दुल- फ़त्ताह (हल्क़ा मग़रिबी बंगाल व उड़ीसा), (13) मौलाना अब्दुल-ग़फ़्फ़ार (हल्क़ा मध्य यू.पी.), (14) मौलाना हबीबुल्लाह (हल्क़ा मशरिक़ी यू.पी.), (15) जनाब अनीसुद्दीन अहमद (हल्क़ा जुनूबी बिहार)

बड़ी आज़माइश के बेहतरीन नतीजे

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की तारीख़ में सबसे बड़ी आज़माइश इमरजेंसी (1975-1977) के ज़माने में पेश आई। लेकिन अपने नतीजों के लिहाज़ से यह जमाअत की तारीख़ का सबसे ज़्यादा फलदायी मौक़ा था। क़य्यिम जमाअत अफ़ज़ल हुसैन साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं

मुल्क में इमर्जेंसी (आपातकाल) के लागू होने का अगरचे बहुत बुरा असर पड़ा था। क्योंकि नागरिकों के तमाम बुनियादी हुक़ूक़ (अधिकार) निलंबित कर दिए गए थे। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की सरगरमियों (गतिविधियों) पर पाबन्दी लगा दी गई थी और कुछ दूसरी जमाअतों की तरह इसके ज़िम्मेदारों और कारकुनों को भी जेलों में डाल दिया गया था। जमाअत के दफ्तर और प्रकाशन वग़ैरा ही नहीं, बल्कि कई लोगों के निजी घर और दुकानों पर भी आख़िर तक ताले जड़े रहे। लेकिन अल्लाह की शान निराली है कि यह फ़ितना जितना बड़ा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ी भलाई इससे मिली कि मुसलमानों के अलावा बिरादराने वतन की एक ख़ासी बड़ी तादाद को इस्लाम, मुसलमानों और तहरीके इस्लामी को समझने का पूरा मौक़ा मिला, सरकारी विभागों, जेलों, पुलिस और अदालतों के कर्मचारियों और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के

ज़िम्मेदार और कार्यकर्ता, जिनसे जेलों के अन्दर और बाहर मिलने का मौक़ा मिला, न सिर्फ़ यह कि वे हमसे परिचित हुए, बल्कि उनसे अच्छे बिरादराना ताल्लुक़ात भी क़ायम हुए और उन्होंने अच्छे असर क़बूल किए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जमाअत के तआरुफ़ और असर का दायरा अच्छा-ख़ासा बढ़ा और जमाअत की साख और नेक-नामी को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचा, जिसकी आम हालतों में उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

देश पर हुकूमत कर रहे लोगों और जानी-मानी विपक्षी पार्टियों के बहुत से ज़िम्मेदारों और कार्यकर्ताओं से जमाअत के लोग पहले से एक हद तक वाक़िफ़ थे और उनसे मुलाक़ातों का मौक़ा भी मिलता रहता था, लेकिन आरएसएस का मामला अलग था। उसके गिने-चुने लोगों ही से जमाअत के कुछ जगहों के लोगों का थोड़ा-बहुत सम्पर्क रखते थे, ऐसा हुआ कि जेलों में एक बड़ी तादाद इसी तंज़ीम के ज़िम्मेदारों और कार्यकर्ताओं की थी। इसलिए बड़े पैमाने पर उनसे सम्पर्क रखने, मुलाक़ात करने और समझने-समझाने और एक-दूसरे को क़रीब से देखने का मौक़ा मिला। जेलों के अन्दर और उसके बाहर आ जाने पर भी उनकी तरफ़ से प्रेस और प्लेटफ़ार्म के ज़रिये से जमाअत के बारे में अच्छी राय का इज़हार हुआ। (छठा कुल हिन्द इज्तिमा नम्बर(विशेषांक) दावत)

हुकूमत की रविश और जमाअत का रवैया

यह बात क़ाबिले-ज़िक्र है कि एक तरफ़ जमाअत के साथ हुकूमत का रवैया ग़ैर-ज़िम्मेदाराना, बल्कि निहायत ज़ुल्मों से भरा हुआ था, दूसरी तरफ़ हुकूमत और मुल्क के ताल्लुक़ से जमाअत का रवैया हमेशा ख़ैरख़ाही का रहा। जमाअत का देश और देश के लोगों के साथ ख़ैरख़ाहाना ताल्लुक़ का आलम यह रहा कि सन् 1970 ई. में उस वक़्त की हुकूमत की तरफ़ से जमाअत पर निशाना साधा जा रहा था, क़य्यिम जमाअत (जमाअत के सेक्रेटरी जनरल) से सवाल किया गया कि क्या सरकार की तरफ़ से जमाअत पर पाबन्दी (प्रतिबंध) लगाई जा सकती है?

क़य्यिम जमाअत ने कहा, दस्तूर के लिहाज़ से ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक़्त पाबन्दी लगाने या न लगाने से कहीं ज़्यादा अहम मसला यह है कि समाज को बिखराव (अराजकता) से कैसे बचाया जाए। *(दावत : 17 जून सन् 1970 ई.)*

देश के साथ जमाअत की ख़ैरख़ाही के हवाले से दो मिसालें पेश करना काफ़ी होगा।

भारत-चीन युद्ध और जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का पक्ष

सन् 1962 ई० में चीन ने हिन्दुस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया। इस मौक़े पर अमीरे-जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द मौलाना अबुल-लैस साहब ने बयान दिया कि हिन्दुस्तान पर चीन का ताज़ा जारिहाना (आक्रामक) हमला हर तरह से निन्दनीय है। यह निहायत अफ़सोसनाक बात है कि चीन ने हिन्दुस्तान की अम्नपसन्दी और सुलह चाहने की कोई क़द्र नहीं की और जैसा कि कम्युनिज़्म की विशेषता है, चालाकी और धोखे से काम लेते हुए एक तरफ़ तो सुलह के लिए ख़त व किताबत करता रहा और दूसरी तरफ़ चुपके-चुपके हमले के लिए तैयारियाँ भी करता रहा और अचानक बिना किसी मुनासिब वजह के उसने नेफा और लद्दाख़ में आक्रामक कार्रवाईयाँ बड़े पैमाने पर शुरू कर दी हैं। इस सूरतेहाल पर हिन्दुस्तान के हर बाशिंदे का इन्तिहाई फ़िक्रमन्दी (चिंतित) और परेशानी में मुब्तला हो जाना एक बिलकुल फ़ितरी बात है। चीन की ये आक्रामक कार्रवाइयाँ मुल्क की इज़्ज़त और खुद्दारी (स्वाभिमान) के लिए एक चैलेंज (चुनौती) की हैसियत रखती हैं, जिसका मुल्क की शान के मुताबिक़ जवाब देना ज़रूरी है। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने चीनी आक्रामकता का मुक़ाबला करने और मुल्क की इज़्ज़त व सम्मान और उसकी आज़ादी की हर क़ीमत पर हिफ़ाज़त करने का मज़बूत इरादा कर लिया है। इस ज़रूरी काम में हुकूमत की हर तरह मदद करना हिन्दुस्तान के हर शहरी (नागरिक) का एक ज़रूरी फ़र्ज़ (कर्तव्य) है और मुझे यक़ीन है कि इस मौके पर हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने फ़र्ज़ को अदा करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मुसलमानों को हुकूमत या अकसरियत (बहुसंख्यकों) से शिकायतें हो सकती हैं और हैं, लेकिन इस वक्त सवाल मुल्क की इज़्ज़त व सम्मान और आज़ादी की हिफ़ाज़त का है, जितना किसी और का नहीं। मुसलमानों को इस मौक़े पर ख़ास तौर से यह बात भी सामने रखनी चाहिए कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) की पेश क़दमी (अग्रसरता), जम्हूरियत (लोकतंत्र) और अख़लाक़ी (नैतिक) और रूहानी क़द्रों (आध्यात्मिक मूल्यों) के लिए भी एक ज़बरदस्त ख़तरे की हैसियत रखती है, जिसको हर हाल में दूर करने की कोशिश करना एक अहम फ़रीज़ा (महत्वपूर्ण कर्तव्य) है।

मौलाना ने आगे कहा, मैं मुल्क के आम बाशिंदों और ख़ास तौर से हिन्दुस्तानी मुसलमानों को इस तरफ़ ध्यान दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि चीनी आक्रामण का सामना करने के लिए जहाँ हर तरह के माद्दी वसाइल (भौतिक साधनों) और ज़राए (संसाधन) मुहैया करने की ज़रूरत है, वहीं इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि माद्दापरस्ती (भौतिकवाद) के ग़लबे और क़ब्ज़े की बुनियाद पर मुल्क जिस अख़लाक़ी तबाही और किरदार की गिरावट का शिकार हो चुका है इसके सुधार

और रोकथाम की भी फ़िक्र की जाए और उन तमाम सरगरमियों पर भी नज़रेसानी (पुनरावलोकन) की जाए जिसकी वजह से किरदार की पुख़्तगी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि लड़ाई युद्ध के मैदान में ही जीती नहीं जाती, बल्कि उसके फ़ैसले की अस्ल बुनियाद क़ौम के अख़लाक़ व किरदार (चरित्र) पर है
(दावत, 28 अक्टूबर सन् 1962 ई.)

याद रखने की बात यह है कि जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द मग़रिबी बंगाल के अमीरे-हलक़ा अब्दुल-फ़त्ताह साहब उस वक्त बेबुनियाद इलज़ामों (आरोपों) की बुनियाद पर जेल में बन्द थे। उन्होंने वहाँ से जमाअत के मर्कज़ को ख़त लिखा जो दावत अख़बार में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने लिखा:

> *''मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नाज़ुक और संगीन मौक़े पर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द भी अपना दीनी, अख़लाक़ी और इनसानी फ़र्ज़ अदा करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी और अपनी पूरी ताक़त और वसाइल व ज़राए (साधनों व संसाधनों) के साथ मुल्क और मज़हब की हिफ़ाज़त (रक्षा) के लिए हुकूमत और मुल्क की हिफ़ाज़ती कोशिशों और कामों की मुकम्मल हिमायत और ताईद करेगी। साथ ही वह अपनी तमाम तंज़ीमी शाख़ों और जमाअत के अफ़राद के ज़रिये से मुल्क के कोने-कोने में आम लोगों का हौसला बढ़ाने और उनमें दिफ़ा (रक्षा) करने के जज़्बे को उभारने की पूरी कोशिश करेगी। और ख़ास तौर से मुसलमानों को आमादा करेगी कि पूरे जोश-खरोश (उत्साह) के साथ मुल्क की हिफ़ाज़त में हिस्सा लें।'' (दावत, 16 नवम्बर सन् 1962 ई.)*

भारत-पाकिस्तान युद्ध और जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का पक्ष

1965 ई. के भारत-पाक युद्ध के मौक़े पर जमाअत के अरकान और कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुईं। इसके बावजूद जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के मर्कज़ की तरफ़ से रुफ़क़ा को हिदायत की गई कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों की ज़्यादतियों के बावजूद मुल्क की ख़िदमत में हिस्सा लीजिए।

हिदायतों में कहा गया कि ये गिरफ्तारियाँ हमारी अपनी सोच के मुताबिक़ चाहे कितनी ही ग़लत और बेमौक़ा क्यों न हों, लेकिन युद्ध की वजह से जो बेचैनी की कैफ़ियत ज़ाहिर हो चुकी है उसके लिहाज़ से वह हैरतअंगेज़ हरगिज़ नहीं है। इसलिए उन्हें निहायत सब्र के साथ बरदाश्त करना चाहिए।

आगे यह भी कहा गया कि इस मौके पर शायद इससे कोई ख़ास फ़ायदा न पहुँच सके कि इन बेजा गिरफ्तारियों पर एहतिजाज या शिकवा - शिकायत की जाए,

इसलिए इसके बजाय अम्न व अमान को क़ायम करने और साम्प्रदायिक एकता और हमआहंगी और शहरी दिफ़ाई कोशिशों, होमगार्ड वग़ैरा में गर्मजोशी से हिस्सा लें और इन कामों के अंजाम देने के सिलसिले में हुकूमत के मक़ामी ज़िम्मेदारों और दूसरी मक़ामी जमाअतों के ज़िम्मेदारों से राबिता और सम्पर्क करें। हुकूमत के ज़िम्मेदारों का रवैया हमारे साथ चाहे कुछ भी हो इसकी परवाह किए बिना हमें अपना दीनी और मुल्की फ़र्ज़ अंजाम देना है।

(मुहम्मद यूसुफ़, क़य्यिम जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, दावत : 16 सितम्बर 1965)

अमीर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द मौलाना अबुल-लैस साहब ने अपने एक बयान में जमाअत की तमाम शाखाओं और जमाअत के मक़ामी रुफ़क़ा को हिदायत की कि मुल्क की मौजूदा नाज़ुक सूरतेहाल (परिस्थिति) में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए पूरी तरह से लग जाएँ, जो इन संगीन हालात ने मुल्क के लोगों के साथ खुद उनके ऊपर भी डाल दी हैं। मौलाना ने मर्कज़ के पिछले एलानों का हवाला देते हुए रुफ़क़ा को ख़ास तौर से हिदायत की कि शहरी अम्न व अमान को क़ायम करने और हंगामी हालात से निकलने के लिए जो कमेटियाँ क़ायम हो रही हैं उनमें हमारे रुफ़क़ा पूरी सरगर्मी से हिस्सा लेकर अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करें और इस मक़सद के लिए हुकूमत के मक़ामी ज़िम्मेदारों से सम्पर्क करें। रेडक्रॉस की तरफ़ से कपड़े और कम्बल वग़ैरा के लिए जो अपील की गई है, इसमें भी पूरी तरह हिस्सा लें। मोहतरम अमीर जमाअत ने साम्प्रदायिक भाईचारा बनाए रखने और नाज़ुक हालात का सामना करने के लिए लोगों में हौसलामन्दी, मुस्तक़िल-मिज़ाजी, फ़र्ज़शनासी (कर्तव्य-बोध), खुद एतिमादी (आत्मविश्वास) और बहादुरी और हिम्मत के जज़्बे पैदा करने और नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी और जमाख़ोरी वग़ैरा की रोकथाम के लिए असरदार कोशिश करने और खुद को ख़तरे में डालकर मज़लूमों और संकट-पीड़ितों को मदद पहुँचाने की तरफ़ भी रुफ़क़ा को मुतवज्जेह किया है। आख़िर में मौलाना ने रुफ़क़ा को हिदायत की है कि वे खुद भी अल्लाह से दुआ करें (और दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ़ ध्यान दिलाएँ) कि जंग के बादल जल्द छंट जाएँ और अम्न व अमान बहाल हो। आमीन!

(दावत : 11 सितम्बर सन् 1965 ई.)

पंडित सुंदर लाल की गवाही

यह सन् 1970 ई. की बात है। फ़िरक़ापरस्त (सांप्रदायिक) ताक़तें मुल्क में फ़साद करा रही थीं और हुकूमत के कुछ लोग उनके साथ मिलकर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

का नाम भी बदनाम कर रहे थे। ऐसे में मुल्क के जाने-माने समाजी रहनुमा (समाजसेवी) पंडित सुंदर लाल ने जमाअत के बारे में दो टूक बयान दिया। उन्होंने कहा :

"मुझे दावा है कि मैं जमाअत-ए-इस्लामी के कुछ नुमायाँ सदस्यों को क़रीब से जानता हूँ। मैंने डॉ. सय्यद महमूद के संग जमाअत के कुछ अहम सदस्यों के साथ देश के कई हिस्सों का दौरा किया है। इन दौरों का मक़सद सिर्फ़ यह था कि देश में फ़िरक़ावाराना हमआहंगी (साम्प्रदायिक सद्भाव) को क़ायम करने, मज़बूती और बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। ख़ास तौर से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता पैदा की जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह कई जगहों पर मक़ामी जनसंघ के कुछ सदस्य हमारी तक़रीरों से मुतास्सिर हुए थे और ख़ास तौर से जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द वालों ने उन्हें मुतास्सिर किया था और उन्होंने स्टेज पर आकर सदर की इजाज़त हासिल करने के बाद मुल्क में हिन्दू-मुस्लिम एकता पैदा करने के लिए हमारी हिमायत की थी। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर मुल्क में कोई ऐसी जमाअत है जो साम्प्रदायिक सद्भाव और हिन्दू-मुस्लिम एकता का मक़सद लेकर खड़ी हुई है, तो वह जमाअते-इस्लामी है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का अस्ल मक़सद इस मुल्क में इस्लाम (ईश्वरीय मार्गदर्शन) का सन्देश देशवासियों तक पहुँचाना है। एक शख़्स को इख़्तियार है कि वह इस मक़सद से इत्तिफ़ाक़ (सहमति) या इख़्तिलाफ़ (मतभेद) करे, लेकिन जब तक इस रास्ते में की जाने वाली कोशिशें पुरअम्न (शान्तिपूर्ण) हैं, किसी को इस पर एतिराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। इसी तरह अगर ब्रह्म समाज या आर्य समाज जैसी कोई दूसरी मज़हबी तंज़ीम पूरे मुल्क को अपने झण्डे के नीचे इकट्ठा करना चाहे, तो जब तक उसके ज़राए पुरअम्न हैं किसी को उसपर एतिराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। जमाअत-ए-इस्लामी को अर्धसैनिक संगठन कहना ग़लत और बेजा है। जमाअते-इस्लामी मुल्क के किसी भी हिस्से में अपने रज़ाकारों (Volunteers) या कारकुनों को किसी तरह की कोई फ़ौजी तरबियत नहीं देती। जमाअत हिन्दुस्तान में किसी भी जगह खुले तौर पर या पोशीदा तौर पर अपने रजाकारों, कारकुनों को न ही तलवार चलाने की तरबियत देती है, न ही खंजर, नेजे (भाला चलाने) या किसी और हथियार के इस्तेमाल की है। मैं इस बात को फिर पूरी ताक़त और बल के साथ दोहराता हूँ कि जमाअते इस्लामी को किसी भी तरह आरएसएस या किसी ऐसी तंज़ीम के साथ मिलाकर अर्धसैनिक संगठन नहीं कहा जा सकता।"

(नेशनल हेराल्ड, दावत से साभार, 22 जुलाई, सन् 1970 ई.)

जमाअत पर पाबन्दी और जमाअत की साबित क़दमी

6 दिसम्बर सन् 1992 ई. को फ़िरक़ापरस्तों के जुनूनी हुजूम के ज़रिये बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के बाद जब मुल्क की साम्प्रदायिक फ़िज़ा (वातावरण) बहुत ज्यादा ख़राब हो गई और मुख़्तलिफ़ शहरों और दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर फ़सादात की आग भड़क उठी। उसके बाद उस वक़्त के प्रधानमंत्री जनाब पी. वी. नरसिम्हा राव के एक अख़बारी बयान से यह ख़याल किया जाने लगा कि इमरजेंसी की तरह क्या हुकूमत, जमाअत की सरगरमियों पर फिर पाबन्दी लगाना चाहती है। चुनाँचे इस सिलसिले में अमीरे- जमाअत ने प्रधानमंत्री को एक ख़त लिखा, जिसमें लिखा:

> *''जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द अपने दस्तूर (संविधान), पॉलिसी (नीति) प्रोग्राम और शुरू से आख़िर तक अपनी कारगुज़ारी के मुताबिक़ अब मुल्क में यह आम पहचान रखती है कि न सिर्फ़ यह कि किसी पहलू से भी जमाअत के ख़िलाफ़ फ़िरक़ापरस्ती (साम्प्रदायिकता) का घिनौना इलज़ाम लगाया नहीं जा सकता, बल्कि वह तो फ़िफ़रक़ापरस्ती के ख़ातिमे की अलम-बरदार (ध्वजावाहक) जमाअत है। वह मुल्क के तमाम बाशिंदों, बल्कि तमाम इनसानों को इस्लामी नज़रिये के मुताबिक़ भाई-भाई की हैसियत देती है और किसी शख़्स के साथ छोटे-से-छोटे दर्जे का भेदभाव वाला सुलूक भी उसकी नज़र में एक गुनाह का दर्जा रखता है। हुकूमत का कोई इक़दाम (कार्यवाई) अगर अपना कोई अख़लाक़ी और क़ानूनी जवाज़ (आधार) न भी रखता हो इस हालत में भी जमाअत जहाँ तक हो सके पुरअम्न रहकर सही रास्ते को इख़्तियार किए रहेगी। मगर क्या किसी खुल्लमखुल्ला ग़ैर-आदिलाना (अन्यायपूर्ण) इक़दाम का सिरे से कोई रद्दे-अमल ही न होगा?''*

बहरहाल 10 दिसम्बर सन् 1992 ई. को एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिये से ग़ैर-क़ानूनी सरगरमियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ बनाए गए क़ानून 1967 के तहत चार दूसरी तंज़ीमों के साथ जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द पर भी पाबन्दी लगा दी गई। इस पाबन्दी के ख़िलाफ़ अपील पर हिन्दुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर, सन् 1994 ई. को जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द पर सरकार की पाबन्दी को ख़त्म कर दिया।

दो साल की यह लम्बी पाबन्दी भी जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की साबित क़दमी को प्रभावित नहीं कर सकी। पाबन्दी के हटते ही जमाअत ने नए और बुलन्द इरादों के साथ अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम के मुताबिक़ काम जारी रखा।

जब जमाअत को तशद्दुद (हिंसा) का निशाना बनाया गया

यह सन् 1979 ई. की बात है। पाकिस्तान के माज़ूल (अपदस्थ) प्रधानमंत्री जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक क़त्ल के मुक़द्दमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई और इस पर अमल हुआ। जिस बात से जमाअत का दूर का भी ताल्लुक़ न था, उसे जमाअत के ख़िलाफ़ बिना कारण प्रोपेगंडे का ज़रिया बनाया गया। चुनाँचे हिन्दुस्तान-भर में जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के ख़िलाफ़ फ़ितना व फ़साद का तूफ़ान खड़ा किया गया और जमाअत और उसके कारकुनों की जायदाद को नुक़सान पहुँचाया गया। कई कारकुनों को जिस्मानी तकलीफ़ दी गई और कुछ को शहीद कर दिया गया। जमाअत के ख़िलाफ़ भड़काऊ तक़रीरें की गईं, उनके घरों पर पथराव किया गया, कहीं धमकियाँ और कहीं गालियाँ दी गईं। अफ़सोस की बात यह है कि यह सारा तशद्दुद (हिंसा) मुसलमानों के कुछ गरोहों ने किया। इसमें सुर्ख़ इन्क़िलाब (लाल क्रांति) के अलमबरदार भी शामिल थे और दीनदारी के दावेदार भी शामिल थे। लेकिन अमीरे जमाअत मुहम्मद यूसुफ़ साहब के अलफ़ाज़ में :"अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि जमाअत के रुफ़क़ा ने इन कठिन हालात में सब्र और ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा।" अमीरे-जमाअत ने तमाम मुसलमानों के नाम एक पुस्तिका लिखी, जिसमें मानो कि अपना कलेजा निकालकर रख दिया। उन्होंने लिखा

> *"उम्मते- मुस्लिमा, ख़ास तौर से उनके उलमा और मुफ़क्किरों के ग़ौर करने की बात यह है कि क्या इस बुराई को दूर करने की कोई फ़िक्र की जाए या इस नासूर को बढ़ने दिया जाए। आज अगर इसके रोकथाम की कोशिश न की गई तो कल यह बीमारी और तरक़्क़ी कर जाएगी। इसलिए कि उस ज़माने में जबकि (बांग्लादेश में) जमीयतुल उलमा के ख़िलाफ़ इन्तिहाई गुस्से का मुज़ाहरा हुआ था, तो उसके करने वाले वे लोग थे जिन्होंने मग़रिबी तहज़ीब (सभ्यता) का प्याला पिया था और अब तो इस जाम में मग़रिबी, जाहिली और रेड शराब की मिलावट भी हो गई है, जिसने इसको कई गुना असरदार बना दिया है और आज के मुसलमान नौजवानों को उसने पिछले दौर के मुसलमानों से ज़्यादा मदहोश और मतवाला बना दिया है। यह बात भी याद रखने के क़ाबिल है कि अगर इस बुराई के ख़ात्मे की फ़िक्र न की गई तो आज जो नामुनासिब सुलूक जमाअत-ए-इस्लामी के ख़िलाफ़ अपनाया गया है, वह कल किसी दूसरी जमाअत के ख़िलाफ़ भी अपनाया जा सकता है। अल्लाह इससे मुस्लिम जमाअत को महफ़ूज़ रखे।"*
>
> *(यालै-त क़ौमी या-लमून, जमाअत पर ज़्यादती करनेवालों को रुजू इल्लल्लाह की दावत)*

न्याय एवं नैतिकता पर आधारित परिवर्तन की आह्वाहक (दाई)

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना के साथ ही उसके अन्दर यह बात शामिल कर दी गई थी कि वह हिन्दुस्तान में एक नेक समाज और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था को क़ायम करने के लिए अम्न के साथ जिद्दोजहद करेगी।

सन् 1956 ई. में जब जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के दस्तूर में पहली बार तरीक़ेकार (कार्यप्रणाली) को दर्ज किया गया, तो इसमें साफ़ लफ़्ज़ों में लिखा गया:

> *"जमाअत अपने तमाम कामों में अखलाक़ी हुदूद (नैतिक मर्यादाओं) की पाबन्द होगी और कभी ऐसे ज़राए और तरीक़े इस्तेमाल न करेगी, जो ईमानदारी और सच्चाई के ख़िलाफ़ हों या जिनसे साम्प्रदायिक नफ़रत, तबक़ाती (वर्गीय) कश्मकश और ज़मीन पर फ़साद ज़ाहिर हो।*
>
> *जमाअत अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तामीरी (रचनात्मक) और अम्न से भरे तरीक़े इख्तियार करेगी। यानी वह तबलीग़ व तलक़ीन (प्रचार व नसीहत) और विचारों को फैलाने के ज़रिये से ज़ेहनों और सीरतों (चरित्र) का सुधार करेगी और इस तरह मुल्क की इज्तिमाई ज़िन्दगी में मतलूबा सालेह इन्क़िलाब (अपेक्षित अच्छा परिवर्तन) लाने के लिए आम राय की तरबियत करेगी।"*
>
> *(दस्तूर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, धारा 5)*

भय और उत्तेजना पर नियंत्रण

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की पूरी तारीख़ गवाह है कि उसने कभी कोई ऐसी सरगरमी (गतिविधि) अंजाम नहीं दी और न ही ऐसा कोई बयान जारी किया, जो उसके दस्तूर में दर्ज काम करने के तरीक़े से टकराता हो। जमाअत को हुकूमत की तरफ़ से भी और दूसरी सियासी (राजनीतिक) और ग़ैर-सियासी (ग़ैर-राजनीतिक) ताक़तों की तरफ़ से भी लगातार ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जमाअत के अफ़राद ने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। कभी भी जज़्बाती (भावनात्मक) रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) ज़ाहिर नहीं किया। जमाअत की तरफ़ से अख़लाक़ी हुदूद (नैतिक मर्यादाओं) की पाबन्दी ने हर मुखालफ़त (विरोध) और ज़्यादती को जमाअत का क़द ऊँचा करने का माध्यम बनाया।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की पूरी तारीख़ इस पर भी गवाह है कि उसने आज़माइशों का डर कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके पॉलिसी और प्रोग्राम में हालात

के समझने का अक्स (छवि) नज़र आता है और हालात के डर का मामूली हिस्सा तक नज़र नहीं आता। आज़ाद हिन्दुस्तान की अब तक की तारीख में जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द पर जितनी आज़माइशें आईं, हर तरफ़ से जितनी मुख़ालफ़तों का सामना करना पड़ा, जितनी तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, शक्तिशाली और ग़ैर-शक्तिशाली ताक़तों की तरफ़ से जिस क़द्र धमकियाँ मिलती रहीं, शायद किसी और जमाअत के हिस्से में इतना सब कुछ नहीं आया। लेकिन जमाअत ने इन सबकी परवाह किए बिना अपने दस्तूर और तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक़ धैर्य, सहनशीलता और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे क़दम बढ़ाती रही।

जमाअत के इज्तिमाआत (सम्मेलन)

कुल हिन्द इज्तिमाआत (All India Conferences) जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की तारीख़ में मील के पत्थर की हैसियत रखते हैं। हर इज्तिमा इस बात का सबूत होता था कि जमाअत लगातार आगे की तरफ़ पेशक़दमी कर रही है। इज्तिमाआत में आम लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती और लोग जमाअत की फ़िक्र (सोच) और जमाअत के रुफ़क़ा के किरदार से मुतास्सिर होते। इज्तिमाआत के बाद लम्बी मुद्दत तक बुलन्द सोच और पाकीज़ा किरदार के हवाले से इन इज्तिमाआत का मुल्क भर में ज़िक्र होता।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के सन् 1981 ई. तक 6 कुल हिन्द इज्तिमाआत मुनअक़िद (आयोजित) हुए। पहला कुल हिन्द इज्तिमा सन् 1951 ई. में कोठी सआदतयार ख़ान रामपुर में हुआ। दूसरा सन् 1952 ई. में लक्कड़ कोट हैदराबाद में, तीसरा सन् 1960 ई. में परेड ग्राउंड, दिल्ली में, चौथा सन् 1967 ई. में बा बाग़, हैदराबाद में, पाँचवाँ सन् 1974 ई. में, दिल्ली में और छठा सन् 1981 ई॰ में वादि-ए-हुदा, हैदराबाद में मुनअक़िद (आयोजित) हुआ। इसके बाद रियासती (राज्य स्तरीय) और इलाक़ाई (क्षेत्रीय) आम इज्तिमाआत और कुल हिन्द अरकाने जमाअत के इज्तिमाआत का सिलसिला जारी हुआ।

इज्तिमाआत में ईसार व क़ुरबानी (त्याग और बलिदान) और फ़रमाँबरदारी और डिसिप्लिन (अनुशासन) के दिलकश मंज़र देखने को मिलते थे। हम ऐसे दो ख़ूबसूरत मंज़रों को बयान करेंगे।

पहला मंज़र

12 नवम्बर 1960 की रात थी, ठण्डी और भीगी रात। रात के क़रीब दस या ग्यारह बजे का वक़्त होगा। एक कमज़ोर बूढ़े शख़्स पानी की बाल्टियाँ भर-भरकर ला रहे थे और उसे पाकी हासिल करने की टंकियों में डाल रहे थे। वालंटियर का बैज बाज़ू पर लगाए हुए उस शख़्स को देखकर कोई यह नहीं समझ सकता था कि यह कोई मुमताज़ आलिम और मशहूर डॉक्टर है। काम लेनेवालों को तो क्या पता होता उनके कैंप में जिसने आकर जहाँ नाम लिखवा दिया, लिख लिया गया। लेकिन काम करने वाले में भी एक पल के लिए खुदपरस्ती का यह मामूली-सा हिस्सा तक नहीं गुज़रा कि वह समाज का कोई मुमताज फ़र्द है। बेशक यह अल्लाह के बन्दों का इज्तिमा था, जिसमें बहुत-सी भुला दी गई सुन्नतें ज़िन्दा की जा रही थीं।"

(तीसरा कुल हिन्द इज्तिमा, दावत पृष्ठ : 224)

दूसरा मंज़र

"गया (बिहार) से 75 लोगों के लिए एक बोगी रिज़र्व की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसे रुफ़क़ा और नए लोग, जिनकी तादाद बारह थी और जो इज्तिमा में शामिल होने का फ़ैसला कुछ देर से कर पाए थे, इसी बोगी से सफ़र करने के ख़ाहिशमन्द हुए, ताकि इज्तिमाइयत की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इन मेहमानों की अचानक आमद ने सफर के अमीर और सफर करनेवालों के लिए एक मसला पैदा कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बर्थ ख़ाली करने में तरद्दुद (संकोच) हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ। बयान करनेवाला, बयान करता है :"बहस व तक़रार की ज़रूरत नहीं, जितने अरकान अपनी बर्थों पर बैठे हैं, वे सब के सब अपनी बर्थों को फ़ौरन ख़ाली कर दें और ज़मीन पर अपना बिस्तर लगा लें।" पटना कमिश्नरी के नाज़िम जनाब इरतिज़ाउद्दीन साहब की पुरवक़ार आवाज़ और उनके वक्त पर फ़ैसले से मेरे विचारों के ताने-बाने बिखर गए और पूरे डिब्बे में एक सन्नाटा छा गया। फिर मेरी आँखों ने वह मंज़र देखा जिसका मुशाहिदा (अवलोकन) अमली दुनिया में इससे पहले मेरी नज़रों से कभी नहीं गुज़रा था (जो मैंने अमली दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा था।) देखते ही देखते तमाम अरकान (सदस्यों) ने पूरी मुस्तइदी (तत्परता) के साथ अपनी-अपनी बर्थे ख़ाली कर दीं और खुशी-खुशी फ़र्श पर अपने बिस्तर लगा लिए। कितने ही हमदर्द नौजवानों ने ज़ईफ़, कमज़ोर और बीमार अरकान की हालत पर तरस खाकर अपनी-अपनी बर्थों की पेशकश की, लेकिन उन्होंने निहायत बेपरवाही के साथ इस पेशकश को नज़रंदाज़ कर दिया। अपने अमीर के हुक्म पर बिना

किसी चूंचिरा (हिचकिचाहट) के सर झुका देने के इस ईमान को बढ़ाने वाले मंज़र ने जमाअत के बहुत से नए हमदर्दों को बहुत ज़्यादा मुतास्सिर किया।"

(दावत, छठा कुल हिन्द इज्तिमा नम्बर)

भारतीय भाषाओं में क़ुरआन का अनुवाद, शुरूआत कैसे हुई?

जमाअत के छठे कुल हिन्द इज्तिमा में जो सन् 1981 ई. में हैदराबाद में हुआ था, मुल्क की बारह ज़बानों में क़ुरआन मजीद के तर्जमों (अनुवादों) का इजरा (उद्घाटन, Inauguration) अमल में आया। मुल्क के बाहर की मशहूर इस्लामी शख़्सियतें भी शामिल थीं। मौलाना अबुल-लैस साहब ने क़ुरआन के तर्जमे (अनुवाद) के इस बड़े काम का तारीख़ी पसमंज़र बताते हुए कहा:

"नामुनासिब न होगा कि मैं इस मौके पर मुख़्तसर तौर पर यह भी अर्ज़ कर दूँ कि आज मुल्क की जो बारह ज़बानों में क़ुरआन मजीद के तर्जमों (अनुवादों) का इजरा (उद्घाटन) हुआ है, इसकी शुरूआत क्यों और किस तरह हुई थी। हिन्दुस्तान के बंटवारे के कुछ ही दिनों के बाद का वाक़िआ है कि ऑल इंडिया कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सालाना इज्तिमा जयपुर में आयोजित हुआ था। वहाँ जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने अपना एक बुक स्टॉल लगाया था। इज्तिमा के ख़ात्मे पर स्टॉल के ज़िम्मेदारों ने मर्कज़ जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द को अपनी जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें बहुत ही दुख के साथ यह ज़ाहिर किया गया था कि स्टॉल पर बहुत से ग़ैर-मुस्लिम भाई बराबर आते और इस्लाम और ईमान के मौज़ूअ (विषय) पर किताबें बहुत शौक़ से ख़रीदते रहे। लेकिन इसके साथ ही उनकी यह माँग होती थी कि क़ुरआन का हिन्दी तर्जमा अनुवाद) मुहैया किया जाए, क्योंकि वे इस्लाम को खुद अल्लाह के कलाम के ज़रिये से सीधे तौर पर समझना चाहते हैं। लेकिन बदक़िस्मती से उनसे माज़रत करने (माफ़ी माँगने) के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस रिपोर्ट के बाद हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि हमारे वसाइल और ज़राए जिस हद तक भी साथ दे सकते हों अपने बिरादराने वतन की इस प्यास को बुझाने में कोताही न करें। चुनाँचे हमने उसी वक़्त अल्लाह का नाम लेकर इस काम को अंजाम देने का फ़ैसला कर लिया और पहले हिन्दी में तर्जमे का काम शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे अपने वसाइल व ज़राए को सामने रखते हुए मुल्क की दूसरी ज़बानों में भी तर्जमे का काम शुरू कर दिया और बहुत से रुफ़क़ा की दिन-रात की मेहनतों और बहुत से खैरख्वाहों (शुभचिंतकों) की माली (आर्थिक) मदद से

यह काम अल्लाह का शुक्र है कि इस पैमाने पर अंजाम पा सका, जिसका हाल अभी आपने देखा है।" *(दावत इज्तिमा नम्बर, 1982)*

आगे की तरफ़ बढ़ते क़दम

कहाँ सन् 1948 ई. की बेसरो-सामानी, लोगों की कमी और गिने-चुने मक़ामों पर बिलकुल शुरुआती क़िस्म का काम ! लेकिन कुछ साल नहीं गुज़रे कि अल्लाह की मेहरबानी से वसाइल (संसाधनों) की बहुतायत होती चली गई। अफ़राद की तादाद में बढ़ोत्तरी होती गई, दावत व अज़ीमत का क़ाफ़िला नए-नए मक़ामों तक पहुँचता गया। नए-नए काम करने के मैदान खुलते गए। यह सब यूँ ही नहीं हुआ। इसके पीछे दिन-रात की लगातार मेहनत और जान व माल की अनगिनत क़ुरबानियाँ रही हैं। पक्के इरादे और साबित क़दमी के एक-दो पैकर (व्यक्तित्व) नहीं, बल्कि एक बड़ा कारवाँ था। तज़किरा-निगार (उल्लेखकर्ता) को हर राज्य में कुछ नुमायाँ शख़्सियतें मिलती हैं और अनगिनत गुमनाम सिपाही, जिनके नाम नहीं मिलते, लेकिन उनका काम नज़र आता है। उनमें ऐसे भी हैं जो खुद तो मामूली पढ़े-लिखे थे, लेकिन उनके मुख़लिसाना (निष्ठापूर्ण) जिद्दोजहद ने बड़ी-बड़ी इल्मी शख़्सियतों को मुतास्सिर किया। किताबों का झोला लिए साइकिल पर बैठे रोज़ाना मीलों का सफ़र करने वाले वे मेहनती और हौसलामन्द कारकुनान थे, जिन्होंने गाँव-गाँव, बस्ती बस्ती इक़ामते-दीन का पैग़ाम पहुँचाया।

सन् 1952 ई. की एक रिपोर्ट में मलमल (बिहार) की औरतों का ज़िक्र इस प्रकार मिलता है-''जब मर्कज़ी दर्सगाह (केन्द्रीय पाठशाला) की ज़रूरत उनके इल्म में आई तो उन्होंने तीन सौ तोले से ज़्यादा के ज़ेवर मदद के तौर पर मर्कज़ी दर्सगाह को पेश किए।" मालाबार (केरल) के बारे में ज़िक्र मिलता है कि बीड़ी के कारख़ानों में कोई एक रफ़ीक़ लिट्रेचर पढ़कर सुनाते हैं और दूसरे रुफ़क़ा और आम मज़दूर अपने काम के साथ लिट्रेचर सुनते और वे आपस में एक-दूसरे से अपने विचार ज़ाहिर करते जाते। भोपाल (मध्य प्रदेश) में एक हमदर्द खुद मज़दूरों की तरह काम करते हैं और दावत व तब्लीग़ की ज़िम्मेदारियाँ भी अंजाम दे रहे हैं। काम की धुन लोगों को कांग्रेस के ऑल इण्डिया कन्विंशन तक ले गई और जमाअत के रुफ़क़ा ने वहाँ बुक स्टॉल लगा दिया।

सफ़र की रफ़्तार का अन्दाज़ा नीचे लिखे आंकड़ों से लगाया जा सकता:

- सन् 1952 ई. में अरकान की कुल तादाद 300 थी, सन् 1989 ई. में 3823 थी, सन् 2010 ई. में 7968, और सन् 2022 ई. में 13869 हो गई।
- सन् 1952 ई. में औरत अरकान की तादाद 12 थी, 1989 में 179 थी, 2010

में 1155 और 2022 में 3589 हो गई।

सन् 1973 ई॰ में मुल्क-भर में क्षेत्रीय ज़बानों (भाषाओं) में दारुल-इशाअतों (प्रकाशनों) की तादाद नौ (9) थी। बंगला, आसामी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलगू, कन्नड़ी, तमिल और मलयालम। इनके ज़रिये से उस वक्त तक एक सौ अस्सी (180) किताबों की इशाअत (प्रकाशन) अमल में आ चुकी थी। सन् 1989 ई. में इन किताबों की तादाद 550 तक पहुँच गई।

सन् 1952 ई. में जमाअत की कुल छः इशाअतें थीं, पाँच उर्दू और एक मलयालम ज़बान में। सन् 1980 ई. में जमाअत के हम ख़याल अख़बारों और रिसालों की तादाद सोलह हो चुकी थी, जिनकी तफ़सील नीचे लिखी है

(1) आसामी हफ़्त रोज़ा 'मुजाहिद' गोहाटी (2) बंगला हफ़्त रोज़ा 'मीज़ान' कलकत्ता (3) गुजराती हफ़्त रोज़ा 'शाहीन' अहमदाबाद (4) मराठी हफ़्त रोज़ा 'शान्ति मार्ग' (5) तेलगू हफ्त रोज़ा 'गीतुराई' हैदराबाद (6) कन्नड़ी हफ़्त रोज़ा 'सन्मार्ग' मंगलोर (7) तमिल पन्द्रह रोज़ा 'समरसम' मद्रास (चिन्नई) (8) मलयालम हफ़्त रोज़ा 'प्रबोधनम' कालीकट (9) मलयालम मासिक 'बोधनम' कालीकट (10) उर्दू रोज़नामा 'दावत' देहली (11) उर्दू सहरोज़ा 'दावत' देहली (12) उर्दू हफ़्त रोज़ा 'दावत' देहली (13) उर्दू माहनामा 'ज़िन्दगी' रामपुर (14) हिन्दी हफ़्त रोज़ा 'कान्ति साप्ताहिक' देहली (15) अरबी पन्द्रह रोज़ा 'अछावा' देहली (16) अंग्रेज़ी हफ़्त रोज़ा 'रेडियन्स व्यूज़ वीकली' (Radiance Views Weekly) देहली

इनके अलावा पन्द्रह अख़बार एवं पत्रिकाएँ और थीं, जो जमाअत से जुड़े लोगों की देखरेख में प्रकाशित हो रहे थे। और अब तो माध्यमम अख़बार और मीडिया वन चैनल की नुमायाँ कामयाबियां इस फ़ेहरिस्त में शामिल हो चुकी हैं। अंग्रेज़ी व हिंदी के मर्कज़ी न्यूज़ पोर्टल 'इंडिया टुमॉरो' की पहुँच भी काफी लोगों तक है। इसके अलावा हर मक़ामी ज़बान में यूट्यूब (YouTube) चैनल हैं, जिन्हें देखनेवालों की एक अच्छी ख़ासी तादाद है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की तारीख़ का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें कामों के मैदान बढ़ते चले गए। सन् 1952 ई. की रिपोर्ट में हमें काम करने के कुछ मैदानों का ज़िक्र मिलता है। सन् 1989 ई. की रिपोर्ट में हम मुख़्तलिफ़ मैदानों में काम देखते हैं। जैसे: तलबा (छात्र) व नौजवान, तालिबात (छात्राएँ), मुन्तख़ब मुहल्ले और बस्तियाँ, समाज-सुधारक कमेटियाँ, मस्जिदें, तालीम व तरबियत के मर्कज़, नर्सरी स्कूल, लड़के और लड़कियों के लिए फुल टाइम के मदरसे और पार्ट टाइम मदरसे, स्कूल, कॉलेज, तकनीकी इदारे, हास्टल, मर्दों और औरतों के लिए तालीमे-बालिग़ान (प्रोढ़ शिक्षा) के मर्कज़, ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम, शरई पंचायतें,

मुस्तक़िल और गश्ती लाइब्रेरियाँ, दारुल-मुताले (अध्ययन केन्द्र), सब-बुक डिपोज़, दारुल-इशाअत (प्रकाशन), चिकित्सा केन्द्र, ग़ैर-सूदी (ब्याज रहित) क़र्ज़ स्कीमें, घरेलू उद्योग, किसान, मज़दूर के काम के मर्कज़। अलबत्ता इदारा-ए-अदबे-इस्लामी और एस.आई.ओ. (SIO) के ज़रिये छात्रों और अहले-अदब (साहित्यकारों) के बीच काम जमाअत के नज़्म से अलग था।

सन् 2022 ई. तक पहुँचते-पहुँचते जमाअत की कारकरदगी की क़िस्में मुख़्तलिफ़ हमख़याल (समान विचारधारा) इदारों की शक्ल में नज़र आती हैं। विज़न 2026, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस (MPJ), सद्भावना मंच, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर धर्मगरुओं के सामूहिक मंच धार्मिक जनमोर्चा, फ़ोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी (FDCA), सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च (CSR), एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स (APCR), आइडियल रिलीफ़ विंग (IRW), मर्कज़ी तालीमी बोर्ड, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन (GIO), शफ़ी मूनिस एकेडमी फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग (SMART), शरीआ काउंसिल, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (IST), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च (IIISR), बोर्ड ऑफ़ इस्लामिक पब्लिकेशन्स (BIP), इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल (EDC), रिफ़ाह चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, फ़ेडरेशन ऑफ़ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया (FMEII), सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर (SBF), ह्यूमन वेलफ़ेयर फ़ाउंडेशन (HWF), ह्यूमन वेलफ़ेयर ट्रस्ट (HWT), ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन (AIITA), सहूलत माइक्रोफ़ाइनेंस, इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फ़ाइनेंस (ICIF) वग़ैरा।

अल्लाह की मेहरबानी से इस वक़्त जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की कोशिशों से मुल्क की तमाम अहम ज़बानों में क़ुरआन और दीनी लिट्रेचर का तर्जमा हो चुका है। मुस्लिम तलबा व तालिबात (छात्र और छात्राओं) की तंज़ीमें ताक़तवर और मज़बूत हो चुकी हैं। मुस्लिम औरतें समाज को बदलने के लिए सरगरम हो गई हैं। मुस्लिम नौजवानों को तामीरी (रचनात्मक) जिद्दोजहद के मैदान मिल गए हैं, जहाँ वे मनसूबाबन्द (योजनाबद्ध) तरीक़े से सरगरम हैं। साम्प्रदायिक नफ़रत और तबक़ाती नफ़रत के ख़िलाफ़ जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का ताक़तवर (सशक्त) बयानिया मौजूद है। इस्लाम के सही तआरुफ़ (परिचय) के लिए मुल्की सतह पर मुहिमें (अभियान) मामूल में शामिल हो चुकी हैं। हर मुहिम लाखों लोगों से सम्पर्क का ज़रिया बनती हैं। नई सुबह की उम्मीदें मज़बूत और ताक़तवर हैं। फिर भी काम अभी बहुत बाक़ी है।

ताज़ा आदाद व शुमार (आंकड़े)

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का काम बहुत से मैदानों में बढ़ा है। हम यहाँ ख़िदमत, दावत और मुस्लिम समाज के सुधार के हवाले से कुछ आंकड़े पेश करेंगे।

75 साल के निरन्तर संघर्ष के बाद जमाअत को मुल्क व मिल्लत में बड़े पैमाने पर एतिमाद (भरोसा) हासिल हुआ है। इस एतिमाद के नतीजे में मुल्क व मिल्लत के वसाइल (संसाधन) मुल्क व मिल्लत की ज़रूरतों पर खर्च करने में जमाअत को नुमायाँ कामयाबी हासिल हुई। सन् 2022 ई. में पेश की गई दो साला रिपोर्ट के मुताबिक़ दो साल की मुद्दत में 13, 14,595 की तादाद में ज़रूरतमन्दों की मुख़्तलिफ़ ज़रूरतें पूरी की गईं। भर में नागरिक सेवा केन्द्र क़ायम किए गए और उनके ज़रिये से 3,65,501 लोगों के ज़रूरी दस्तावेज़ बनवाए गए। सरकारी कल्याणकारी स्कीमों से जनता को फ़ायदा पहुँचाने का काम भी किया गया है, इनसे 9,33,341 लोगों ने फ़ायदा उठाया।

बिरादराने-वतन (वतनी भाइयों) का मुसलमानों पर हक़ है कि वे उन्हें अल्लाह के दीन से पूरी तरह परिचित कराएं। इस ज़िम्मेदारी का एहसास जमाअत को पहले दिन से रहा है और इसके लिए कोशिशें भी हमेशा की जाती रही हैं।

मुस्लिम समाज की इस्लाह और सुधार के बग़ैर इक़ामते-दीन का काम नहीं हो सकता है। इस पर भी जमाअत की तवज्जोह हमेशा रही है। दो साल की मुद्दत में मिल्लत के सुधार और तरबियत के सिलसिले में देश भर में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के 56,500 प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें शरीक होनेवालों की तादाद 68,48,314 थी। 144 फ़ैमिली काउंसलिंग सेंटर क़ायम हुए, जबकि दारुल-क़ज़ा 13 जगहों पर क़ायम हैं। मर्कज़ के फ़ेसबुक पेज पर डाली गई वीडियोज़ को देखनेवालों की तादाद सोलह लाख है, जबकि मर्कज़ के यू-ट्यूब चैनल से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद लगभग साढ़े पाँच लाख है।

देश व मुस्लिम समाज पर जमाअत का प्रभाव

शुरू में जमाअत इस्लामी हिन्द के अरकान (सदस्यों) की तादाद कुछ सौ, फिर कुछ हज़ार और अब यह लगभग चौदह हज़ार के क़रीब तक पहुँची है। इतने बड़े मुल्क में यह अफ़रादी ताक़त ज़ाहिर में बहुत छोटी ताक़त महसूस होती है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि जमाअत की कोशिशों के असरात सिर्फ़ उसके कैडर और उसकी इकाइयों तक ही महदूद (सीमित) नहीं हैं। वह अस्ल में एक सामाजिक तहरीक है

और इसने हिन्दुस्तानी समाज के मुख़्तलिफ़ पहलुओं पर गहरे असरात छोड़े हैं। इसके सामाजिक प्रभाव, इसकी अफ़रादी ताक़त के तनासुब (अनुपात) से कहीं ज़्यादा हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के मौजूदा अमीर सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब कुछ अहम असरात (प्रभावों) की तरफ़ इशारा इस तरह करते हैं:

- जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने पढ़े-लिखे मुसलमानों में दीनी शऊर भी पैदा किया और दीन, मुल्क और मिल्लत के लिए जिद्दोजहद (संघर्ष) करने और क़ुरबानियाँ देने का हौसला भी उनके अन्दर पैदा किया। जमाअत ने कॉलेजों और यूनीवर्सिटियों के पढ़े-लिखे लोगों का दीन पर एतिमाद बहाल किया। इस मामले में उसके दीनी लिट्रेचर ने जो तारीख़ी किरदार अदा किया है, उसे उम्मत के तमाम आलिम और बुद्धिजीवी तस्लीम करते हैं।

- दीन पर एतिमाद बहाल करने के साथ-साथ जमाअत ने इन लोगों को मुल्क और उम्मत की तामीर व तरक्की के मुसबत (सकारात्मक) अमली प्रोग्राम मुहैया किए। जमाअत ने उनको यह बात समझाई कि मुसलमान की हैसियत से उनकी यह ज़िम्मेदारी है कि वे इस्लाम की दावत (सन्देश पहुंचाने) का फ़र्ज़ पूरा करें और इस्लाम की रहनुमाई (मार्गदर्शन) के मुताबिक़ आम लोगों की समस्याओं को हल करने और उनकी फ़लाह (कामयाबी) और भलाई के लिए सरगरम किरदार अदा करें। यह उनकी दीनी ज़िम्मेदारी है और हिन्दुस्तान का जम्हूरी समाज इस तामीरी जिद्दोजहद के मौक़े और आज़ादी उन्हें मुहैया करता है। तालीम के मैदान में दीनी और दुनियावी तालीम के बंटवारे का ख़ात्मा और दीन की रहनुमाई के मुताबिक जदीद असरी तालीम (आधुनिक शिक्षा) का इन्तिज़ाम, मईशत (अर्थव्यवस्था) के मैदान में सूद (ब्याज) से पाक क़र्ज़ों की फ़राहमी, सियासत में अख़लाक़ी क़द्रों (नैतिक मूल्यों) और अमन व इंसाफ़ के इस्लामी उसूलों (सिद्धांतों) को रिवाज देना, बिरादराने-वतन से सम्पर्क और ताल्लुक़ और उनमें इस्लाम की दावत (सन्देश पहुंचाने) का काम नए तरीक़ों के मुताबिक़ इस्लामी तहक़ीक़ (शोध) और जदीद उसलूब (आधुनिक शैली) में इस्लामी लिट्रेचर की तैयारी, इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर मुल्क और समाज के मसलों के हल के लिए एक मुतबादिल डिस्कोर्स (वैकल्पिक सम्भाषण (बातचीत)) का गठन वग़ैरा जैसे दसियों मामले हैं जिनके बारे में जमाअत के विचार किसी ज़माने में अजनबी समझे जाते थे। जमाअत ने एक पूरी नस्ल की तरबियत की और इस तरबियत की

बुनियाद पर नए ख़ाब और नई आरज़ुओं को परवान चढ़ाया। आज यह नस्ल मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में इन सभी मैदानों में बहुत क़ीमती ख़िदमात (बहुमूल्य सेवाएँ) अंजाम दे रही है, और ये ख़ाब अब पूरी उम्मत के ख़ाब हैं और उम्मत के सभी तबक़े इन उसूलों पर काम करने में लगे हुए हैं।

- जमाअत की एक बड़ी ख़िदमत यह है कि उसने हिन्दुस्तानी मुसलमानों में मुसबत (सकारात्मक), तामीरी (रचनात्मक) और सन्तुलन पर आधारित इस्लामी सोच को परवान चढ़ाया। जमाअत ने मुल्क के ताल्लुक़ से मुसबत और सकारात्मक रवैया अपनाने की फ़िक्र आम की। ऐसे क़दम उठाए जिनसे एक तरफ़ मुसबत और सकारात्मक रवैये की तरफ़ रहनुमाई भी होती है और दूसरी तरफ़ मनफ़ी (नकारात्मक), इन्तिहा - पसन्दाना (अतिवादी) और बिगाड़ पैदा करने वाले रुझानों के हौसले भी टूटते हैं। आज़ादी के फ़ौरी बाद जमाअत ने जो पॉलिसी और प्रोग्राम तैयार किया उसमें फ़िरक़ापरस्ती (साम्प्रदायिकता) के ख़ात्मे को एक अहम हदफ़ (लक्ष्य) के तौर पर शामिल रखा। और जहाँ अकसरियती फ़िरक़ापरस्ती के ख़ात्मे को अपना हदफ़ (लक्ष्य) ठहराया, वहीं खुद मुसलमानों में मौजूद क़ौमपरस्ताना (यानी फ़िरक़ापरस्ताना) रुझानों के ख़ात्मे को अपना एक अहम प्रोग्राम क़रार दिया। आज भी आलमी पैमाने पर मौजूद इन्तिहापसन्दाना (अतिवादी) रुझानों से बड़ी हद तक हिन्दुस्तानी मुसलमान महफ़ूज़ हैं। इस बात को हुकूमत के ज़िम्मेदार भी स्वीकार करते हैं।

- इस मुसबत और मोअतदिल (सन्तुलित) सोच का एक अहम दीनी पहलू यह है कि जमाअत ने उम्मत के रिश्ते को क़ुरआन से मज़बूत करने की शऊरी कोशिश की और इसमें उसे बड़ी कामयाबी भी मिली। मसलकों और फ़िरक़ों में बंटी हुई उम्मत को उसने क़ुरआन की बुनियाद पर एकजुट होने की दावत दी और यह यक़ीन पैदा किया कि मसलकी और नज़रियाती इख़्तिलाफ़ात (वैचारिक मतभेद) उम्मत की एकता के रास्ते में रुकावट नहीं हैं। इसके लिए जमाअत ने जगह-जगह पढ़े-लिखे मुसलमानों के क़ुरआन समझने के हलक़े शुरू किए। कई तर्जमे और तफ़सीरें प्रकाशित कीं। तमाम इलाक़ाई (क्षेत्रीय) ज़बानों में क़ुरआन के अनुवाद प्रकाशित किए। आज क़ुरआन फ़हमी (समझने) की यह तहरीक भी तमाम मसलकों और मक्तबा-ए-फ़िक्र (विचारधारा) की तहरीक बन चुकी है।

- क़ुरआन समझने की सकारात्मक दावत के साथ-साथ जमाअत ने यह सोच भी पैदा करने की कोशिश की कि मुसलमानों के मसलकी और दूसरे मज़हबी वैचारिक मतभेदों की क़िस्म जुज़्वी और फ़ुरूई (आंशिक और गौण) है और इन मतभेदों के बावजूद दीन के मुत्तफ़क़ अलैह (सर्वसम्मत) हिस्से की बुनियाद पर (जो बहुत बड़ा हिस्सा है) वे एकजुट हो सकते हैं और मिल-जुलकर अपनी मंसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकते हैं। खुद जमाअत की तंज़ीम में तमाम अहम मसलकों के लोग मौजूद हैं और अपने-अपने मसलक पर रहते हुए एक जमाअत और एक नज़्म (अनुशासन) का हिस्सा हैं। इस अमली मुज़ाहरे के अलावा जमाअत ने उम्मत की सभी जमाअतों और तंज़ीमों को मुख़्तलिफ़ संयुक्त प्लेटफ़ार्मों पर लाने में अहम और ख़ास रोल अदा किया है।

- जमाअत ने उम्मत में तंज़ीम बनाने और मुनज़्ज़म इज्तिमाई ज़िन्दगी (संगठित सामाजिक जीवन) का शऊर और सलीक़ा आम किया। मुल्क के अक्सर हिस्सों में तंज़ीम और जमाअत का मतलब किसी चमत्कारिक क़ाइद (लीडर) या मुर्शिद के बेज़बान मुरीदों और पैरवी करनेवालों का मजमूआ है। क़ियादतें आम तौर पर मौरूसी (पैतृक) होती हैं और फ़ैसला करने की मजलिसें सिर्फ़ नाम के लिए होती हैं। ऐसे माहौल में जमाअत ने उसूलों और लिखित दस्तूर की बुनियाद पर इदारा बनाने के रुझान को न सिर्फ़ क़ायम किया, बल्कि लगातार कई दहाइयों (दशकों) से इसे कामयाबी के साथ निभा भी रही है।
- इदारा बनाने की इस सलाहियत और मज़बूत जम्हूरी रिवायतों का जमाअत ने सिर्फ़ अपनी तंज़ीम की हद तक ही मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि इससे जुड़े हुए लोगों के ज़ेरे-इन्तिज़ाम और उसके ज़ेरे-असर जो सैंकड़ों इदारे और दूसरी तंज़ीमें देश भर में सरगरम हैं, उनमें भी यही स्प्रिट (भावना) दिखाई देती है। यह दावा यक़ीनन हद से बढ़ा हुआ नहीं होगा कि मुसबत जम्हूरी रिवायतों के एहतिमाम में जमाअत न सिर्फ़ तमाम दूसरी जमाअतों के मुक़ाबले में, बल्कि मुल्क की ज़्यादातर सियासी और समाजी तंज़ीमों के मुक़ाबले में भी ज़्यादा कामयाब है। और जिस जम्हूरी तरीक़े से यहाँ चुनाव होते हैं, जिस आसानी से क़ियादतें (नेतृत्व) बदलती हैं और जिस शूराई स्प्रिट के साथ फ़ैसले किए जाते हैं, इसकी नज़ीर (मिसाल) शायद ही मुल्क के किसी इज्तिमाई निज़ाम में मिले। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तानी मुसलमानों के पुराने रिवायती समाजी ढाँचे पर जमाअत की इन नज़ीरों ने गहरे मुसबत असरात डाले हैं और अब हर जगह ऐसे इदारे वजूद में आ रहे हैं।

- जमाअत की तंज़ीमसाज़ी (संगठन संरचना) की एक अहम ख़ूबी यह है कि उसने समाज के तमाम तबक़ों को अपने सामने रखा है। इसकी तलबा तंज़ीम (छात्र संगठन) एस. आई. ओ. पिछले 40 सालों से कामयाबी के साथ अपने दस्तूर के मुताबिक़ काम कर रही है। देश के कई राज्यों में निहायत सरगरम तालिबात (छात्राओं) की और नौजवानों की तंज़ीमें हैं। तलबा और औरतों को मुनज़्ज़म करने में जमाअत की कोशिशें कई पहलुओं से अपने-आपमें जुदा हैं। तलबा तंज़ीम (छात्र संगठन) पूरे अम्न के साथ और क़ानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करने के उसूल को जिस कामयाबी के साथ, इतने लम्बे अरसे तक निभाया है, वह मुल्क के तलबा की तहरीकों की तारीख़ में एक नया और रौशन बाब (अध्याय) है।

- औरतों का मुल्कगीर (देशव्यापी) निज़ाम जमाअत कामयाबी से चला रही है और उसने इस ग़लतफ़हमी को दूर किया है कि दीन-पसन्द मुस्लिम औरतें सुसंगठित अवामी कोशिशें नहीं कर सकतीं। या यह कि हिजाब (पर्दा) समाजी सरगरमियों (सामाजिक गतिविधियों) में रुकावट है। आज औरतें जमाअत का अहम हिस्सा और उसकी ताक़त का ख़ास ज़रिया हैं। हर राज्य में औरतों के मुनज़्ज़म हलके हैं। जी.आई.ओ. की सुसंगठित यूनिटें हैं। ज़्यादा पढ़ी-लिखी औरतों से लेकर आम घरेलू औरतों तक, हर तबके की औरतें जमाअत में मौजूद हैं और अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ दीन की, मिल्लत की, मुल्क की बेशक़ीमती ख़िदमात (बहुमूल्य सेवाएँ) अंजाम दे रही हैं और इन ख़िदमात के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रही हैं।

- जमाअत की एक बड़ी अहम कोशिश यह रही है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान और उनकी तंज़ीमें सिर्फ़ अपने हालात और मसलों पर सोचने और काम करने तक ही महदूद न रहें, बल्कि देश और पूरे समाज की भलाई के लिए भी सोचें और काम भी करें। इस्लाम की तालीमात की रौशनी में वे मुल्क में अमन व इंसाफ़ क़ायम करने की कोशिश करें। मुतबादिल पॉलिसियाँ (वैकल्पिक नीतियाँ) पेश करें। इस्लाम के उद्देश्यों की रौशनी में मुतबादिल डिस्कोर्स (संभाषण) खड़ा करें। चुनाँचे जमाअत लगातार मुल्क की सियासी, मआशी और दूसरी पॉलिसियों पर अपने ख़यालात ज़ाहिर करती रही है। सरमायादाराना इस्तेअमार (पूँजीवादी उपनिवेश) के ख़िलाफ़ उसने

बहुत ताक़तवर आवाज़ बुलन्द की है जिसका एतिराफ़ इल्मी हलक़ों में किया जाता रहा है।

- मुसलमानों की जनकल्याणकारी सरगरमियाँ आम तौर पर तालीमी इदारे क़ायम करने तक या ख़ैराती कामों तक ही महदूद थीं। मुसलमानों की चौमुखी तरक़्क़ी के लिए यह ज़रूरी था कि तालीम के मैदान में भी मनसूबाबन्द तरीक़े से और ज़रूरतों को तय करते हुए उनके मुताबिक़ काम किया जाए और इनके अलावा मईशत (आर्थिक), माइक्रोफ़ाइनेंस, रोज़गार फ़राहम करने और ग़रीबी को दूर करने, आम लोगों की सेहत, सफ़ाई और सेहत की हिफ़ाज़त करने वग़ैरा जैसे मोर्चों पर भी मनसूबाबन्द काम किए जाएँ।

- जमाअत ने इसके लिए विज़न 2016 पेश किया। अल्हम्दु-लिल्लाह इस विज़न ने समाज पर प्रभावकारी असर डाले हैं। जमाअत से जुड़े और हमख़याल लोगों ने कई एनजीओज़ क़ायम कीं और उनके ज़रिये से उत्तर भारत में निहायत ठोस काम भी हो रहा है और इसके लिए वसाइल (संसाधन) भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इस विज़न ने बाद में मिल्लत के दूसरे दर्दमन्दों को भी इस ज़रूरत की तरफ़ मुतवज्जेह किया और अब दक्षिणी भारत के मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के कई समाजी और फ़लाही तंज़ीमों ने उत्तर भारत में अहम मनसूबे शुरू किए हैं। कुछ साल पहले विज़न 2016 की कामयाब तकमील (पूर्णता) के बाद विज़न 2026 का एलान किया गया है और उम्मीद है कि यह मनसूबा भी मिल्लत की तामीर व तरक़्क़ी में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।

फ़र्ज़ बुलाता है!

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की तारीख़ बताती है कि मुश्किल और संगीन हालात में अपना फ़र्ज़ याद रखनेवालों ने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा की। फिर भी हालात की संगीनी आज भी बरक़रार है। नफ़रतों के सौदागर नफ़रत बाँट रहे हैं। ज़ुल्म की चक्की में मुल्क की सारी जनता पिस रही है। नास्तिकता, खुदा से दूरी, अंजाम (परिणाम) से लापरवाही, दिशाहीनता नई पीढ़ी पर हावी है। समाज तबाही की तरफ़ बढ़ रहा है। ये तमाम हालात इस्लाम के माननेवालों को उनका फ़र्ज़ याद दिलाते हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द भारतीय मुसलमानों की साझा ताक़त है। नई नस्ल को जमाअत की तारीख़ और आगे बढ़ने की समझ होनी चाहिए। इससे उन्हें हिम्मत और दानाई मिलेगी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है और उसके जो असरात पड़े हैं, वे मामूली नहीं हैं। बहुत से पहलुओं से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हमारे बुज़ुर्गों की कोशिशों से और उनकी कुरबानियों से इस मुल्क में और ख़ास तौर से यहाँ के मुस्लिम समाज में आई हैं। अल्लाह तहरीक की इन ख़िदमात को क़बूल फ़रमाए। हमारे बुज़ुर्गों की क़ब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जों को बुलन्द फ़रमाए और हम सबको यह तौफ़ीक़ बख़्शे कि इस मुबारक सफ़र को हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकें। (आमीन)

कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइटों के लिंक

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की वेबसाइट	jamaateislamihind.org	
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का यूट्यूब चैनल	youtube.com/@JamaateIslamiHind	
मासिक ज़िन्दगी नौ	zindagienau.com	
साप्ताहिक दावत	dawatnews.net	
रेडियंस व्यूज़ वीकली (साप्ताहिक अंग्रेज़ी पत्रिका)	radianceweekly.net	
एम.एम.आई. पब्लिशर्स	mmipublishers.net	
माध्यमम (मलयाली दैनिक अख़बार)	madhyamam.com	
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द (टीवी)	youtube.com/@JIHindTV	
इदारा - ए - तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी (अलीगढ़)	idaratahqeeq.com	
इस्लामिक फ़ाउन्डेशन ट्रस्ट	iftchennai.org	
अल जामिआ अल इस्लामिया शान्तापुरम केरला	aljamia.net	
इंडिया टुमारो (अंग्रेज़ी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल)	indiatomorrow.net	

इंडियन सेन्टर फ़ॉर इस्लामिक फिनांस (ICIF)	icif.org.in	
अनुपमा (कन्नड़ भाषा में महिलाओं की मासिक पत्रिका)	anupamamonthly.com	
बिहार लोक संवाद (यूट्यूब चैनल)	biharloksamvad.net	
प्रबोधनम (मलियाली भाषा में साप्ताहिक पत्रिका)	prabodhanam.net	
पेश रफ़्त (उर्दू भाषा में मासिक साहित्यक पत्रिका)	peshraft.in	
जामिअतुल फलाह	jamiatulfalah.org	
जनमानस राजस्थान (यूट्यूब चैनल)	youtube.com/@ janamanasrajasthan	
रिफ़ाह चैम्बर ऑफ़ कामर्स	rifah.org	
समरसम (तमिल पत्रिका)	samarasam.net	
सन्मार्गा (कन्नड़ भाषा में साप्ताहिक पत्रिका)	sanmarga.com	
सेन्टर फ़ॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च	csrindia.in	
शरीआ कौंसिल	shariahcouncil.net	
कान्ति मासिक	kanti.in	
कान्ति साप्ताहिक	kantiweekly.com	

हादिया (उर्दू मासिक ई-मैगज़ीन)	haadiya.in	
मर्कज़ी तालीमी बोर्ड	taleemiboard.org	
मीडिया वन (मलयाली टीवी चैनल)	mediaonenews.in	
गीतुराई (साप्ताहिक तेलगू)	geeturai.com	
शोधन (मराठी साप्ताहिक पत्रिका)	eshodhan.com	

D-321, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली, भारत। पिन: 110025
संपर्क करें: 011-2695 1409 - 26941401